पंचम माला, खंड 65, अंक 7, सोमवार, 1 नवम्बर, 1976/10 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 7, Monday, November 1, 1976/Kartika 10, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र / Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol. LXV contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और समे अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, सोमवार, 1 नवम्बर, 1976/10 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 7 Monday, November 1, 1976/Kartika 10, 1898 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—7
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
234वां तथा 235वां प्रतिवेदन-	Two Hundred and Thirty-fourth and two hundred and Thirty-Fifth Reports.	8
अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
57वां प्रतिवेदन	Fifty seventh Report	8
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
65वां प्रतिवेदन	Sixty-fifth Report	8
संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—	
खंड 13 से 59 तथा 1	Clauses 13 to 59 and 1 . . .	8-63

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैट्टूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

साँघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुलकीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 1 नवम्बर, 1976 / 10 कार्तिक, 1898 (शक)

Monday November 1, 1976/Kartika 10, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Speaker in the Chair

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यापार पोत परिवहन (तेल से समुद्र का प्रदूषण निवारण) संशोधन नियम, 1976

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

व्यापार पोत परिवहन, अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापार पोत परिवहन (तेल से समुद्र का प्रदूषण निवारण) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1349 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० —11450/76)

गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, गुजरात और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए 20 नये अनुपूरक समझौते, विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण और आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय

कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (जीएचएन 64) जीएसटी 1076/ (एस० 49)—(50)-टीएच जो दिनांक 26 अगस्त, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1976की अधिसूचना संख्या (जीएचएन 627) जीएसटी 1070/ (एस० 49) टीएच में संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०—11451/76]

(दो) (जीएचएन 65) जीएसटी 1076/ (एस० 49)-(51)- टीएच जो दिनांक 26 अगस्त, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जीएचएन 627) जीएसटी 1070/ (एस0 49)—टीएच में संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०— 11451/76]

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जीएचएन 68)/जीएसटी 1076/एस० 5(3)-(3), टीएच (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 सितम्बर, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—11452/76]

(3) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जीएचएन 69) जीएसटी 1076/ (एस० 23)—(4)— टीएच (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 सितम्बर, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग क में संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—11453/76]

(4) (एक) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21क की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 21क (1) के अनुसरण में 19 मई, 1976 से 24 अगस्त, 1976 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के साथ किये गये 20 नये अनुपूरक समझौतों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त समझौतों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—11454/76]

(5) आय-कर अधिनियम, 961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 3099 से 3107 जो दिनांक 21 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सां० आ० 3115 से 3117 जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सां० आ० 3269 से 3270 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—11455/76]

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

नगरीय (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976, की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) पांचवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1261 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) छठा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1262 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) सातवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 803(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी०—11456/76]

घरेलू विद्युत उपकरण (गुण-प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत घरेलू विद्युत उपकरण (गुण-प्रकार नियंत्रण) आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 690(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी०—11457/76]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 22वां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 848 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 20वां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 849(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी०—11458/76]

गुजरात उत्तरजीवी अन्यसंक्रामण उत्सादन (प्रतिकर बंधपत्र) (संशोधन) नियम, 1976 तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात उत्तरजीवी अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम, 1963 की धारा 28 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात उत्तरजीवी अन्यसंक्रामण (प्रतिकर बन्धपत्र) (संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच एम/76/207–एम/जी एस ए/1076–वाई० में प्रकाशित हुये थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—11459/76]

लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी—11460/76]

औद्योगिक अलकोहल के मूल्य ढांचे पर प्रतिवेदन एवं उस पर सरकारी संकल्प तथा उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(क) (एक) औद्योगिक अलकोहल के मूल्य ढांचे पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1975)

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित करने वाला दिनांक 28 सितम्बर, 1976 का सरकारी संकल्प संख्या एल–12027(9)/75 सीएच II

(ख) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी—11461/76]

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 1972–73 के वार्षिक वित्तीय विवरण का हिन्दी में प्रतिवेदन और उपर्युक्त दस्तावेज का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण और गुजरात विद्युत बोर्ड का वर्ष 1976–77 का वार्षिक वित्तीय विवरण और उपर्युक्त दस्तावेज का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

Dy. Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): I beg to lay on the Table a copy each of the following:—

(i) A copy of the Annual Financial Statement for 1976-77 and Supplementary Financial Statement for 1975-76 of the Tamil Nadu Electricity

Board, under sub-section (3) of section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948 read with clause (c)(iv) of the Proclamation dated the 31st January, 1976 issued by the President in relation to the State of Tamil Nadu.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Hindi version of the above document.

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11462/76]

(i) A copy of the Audit Report on the Annual Accounts of the Tamil Nadu Electricity Board for the year 1972-73, under sub-section (5) of section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948 read with clause (c)(iv) of the Proclamation dated the 31st January, 1976 issued by the President in relation to the State of Tamil Nadu.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Hindi version of the above document.

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—11463/76]

(i) A copy of the Annual Financial Statement of the Gujarat Electricity Board, Baroda, for the year 1976-77, under sub-section (3) of section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948 read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 12th March, 1976 issued by the President in relation to the State of Gujarat.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Hindi version of the above document.

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—11464/76]

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत के समाचार पत्र की वार्षिक समीक्षा, चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 की समीक्षा और वार्षिक समीक्षा, तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियम, 1976 और उपर्युक्त दस्तावेजों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का भारत के समाचार पत्र, 1975 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—11465/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी०—11466/76]

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 2868 जो दिनांक 22 जनवरी, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सिनेमा (विनयमन) नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० 773 जो दिनांक 28 मई, के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तिमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) जी० ओ० एम० 2280 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) जी० ओ० एम० 191 जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के तमिलनाडू सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा तिमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) जी० ओ० एम० 416 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(5) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी०—11467/76]

(6) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत बम्बई सिनेमा (गुजरात संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 मई, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एच०/जी/131/बीसी/आर/3275/2383-ए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी०—11468/76]

———

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

234 वां और 235 वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्यविभाग) के सम्बन्ध में आकस्मिकता निधि अग्रिम राशियों का 'विनियमन' पर समिति के 222वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 234वां प्रतिवेदन ।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और वित्त मंत्रालय (रक्षा) के सम्बन्ध में लेखा प्रणाली तथा प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों पर समिति के 217वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 235वां प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

57 वाँ प्रतिवेदन

Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : मैं निर्माण आवास और मंत्रालय--दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गयी आवास सुविधाओं को--पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 57वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

Business Advisory Committee

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :--

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 65वें प्रतिवेदन से, जो 30 अक्तूबर, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 65वें प्रतिवेदन से, जो 30 अक्तूबर, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (44वाँ संशोधन) विधेयक--जारी

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में संविधान (44वां संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा । हम खण्ड 43 पर हैं ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं संशोधन संख्या 210 और 223 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : मैं संशोधन संख्या 285 प्रस्तुत करता हुं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 475 और 476 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० मायातेवर : मैं संशोधन संख्या 539 और 540 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 654 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं संशोधन संख्या 587 और 600 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं चाहता हूं कि किसी भी राज्य में किसी भी समय केन्द्र द्वारा सशस्त्र सेना भेजने सम्बन्धी अधिकार पर कुछ पाबन्दियां लगायी जायें। यह बहुत गम्भीर मामला है और केन्द्र तथा राज्यों में सम्बन्ध खराब कर कसता है। ऐसा किया जाये कि सशस्त्र सेना भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव संसद द्वारा दो तिहाई मतों से प्राप्त किया जाये। तभी सशस्त्र सेना भेजी जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : खण्ड 43 से कई गम्भीर मसले पैदा हो कसते हैं। संसद के पास क्या पहले ही पर्याप्त शक्तियां नहीं। यदि किसी राज्य में शान्ति और व्यवस्था भंग हो जाये या उसे गम्भीर खतरा हो तो संविधान में इसके लिए उपयुक्त उपबन्ध हैं। पहले कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और केन्द्र को उसका मुकाबला करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह राज्यों को स्वायत्तता देने के सिद्धान्त पर आघात है।

संविधान के अन्तर्गत केन्द्र राज्यों को निदेश दे सकता है तथा उन्हें मानना राज्य के लिए आवश्यक है। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि अनुदेश के अनुसार कार्य करने में असफल रहने पर वह राज्य सरकार को पदच्युत कर सकता है अथवा जरूरी समझें तो सशस्त्र सेनाएं भेज सकता है। तब फिर सरकार यह उपबन्ध क्यों कर रही है। राज्य में सशस्त्र सेनाएं भेजने और उन्हें केन्द्र को देख-रेख में कार्यवाही करने का अधिकार क्यों प्राप्त किया जा रहा है। क्या इससे राज्य में दो समानान्तर प्रशासन चलने की स्थिति पैदा नहीं हो जायेगी।

वर्तमान संविधान में ऐसी कोई बात नहीं के सरकार को कोई कार्यवाही करने से रोक सके। इस खण्ड के पास होने से जनता के मन में यह सन्देह पैदा हो जायगा कि सरकार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के सत्ता में आने की सम्भावना के विरुद्ध स्वयं को तैयार कर रही है। सरकार सभी अधिकार अपने पास रखना चाहती है। इससे भविष्य में यदि आवश्यक हो तो वह केन्द्रीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा हस्तक्षेप कर सकती है। श्री गोखले कहते हैं कि यह सन्देह निराधार है तब इसे संविधान में शामिल करने की जल्दी क्या थी। क्या अब तक ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण ऐसा नया खण्ड संविधान में शामिल करना आवचयक हो गया?

मेरा विचार है कि कांग्रेस सरकार वाले कुछ राज्य भी इस उपबन्ध को पसन्द नहीं करेंगे। हम एक संघीय प्रणाली वाले देश हैं। पर यह संशोधन उस भावना के विरुद्ध है। अतः मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार के सुझाव पर ही केन्द्र सशस्त्र सेना को भेजे। अब भी केन्द्र पास पर्याप्त शक्तियां हैं अतः मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी इस उपबन्ध पर जोर न दें

क्योंकि इतना कठोर उपाय अपनाने का कोई स्पष्ट कारण नज़र नहीं आता। उलटे इससे अकारण जनता में सन्देह उत्पन्न होगा। अतः मेरे संशोधन पर विचार किया जाये।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Our experiences in the past have been quite bitter. I can quote the situation in West Bengal when the S.V.D. Government came to power. Similarly I shall draw your attention towards the happenings in Tamilnadu also.

So in order to check the repeatition of such incidents the word "National rebellion' must be added only then we can maintain the dignity of the nation. The centre should take drastic action to check such type of things. So I press my amendment.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक का शायद सबसे अधिक संवेदनशील खण्ड है जिस पर व्यापक विचार की आवचयकता है। खण्ड 43 अपने वर्तमान रूप में उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। इसमें समूचित संशोधन किया जाये।

पुलिस का प्रयोग अनेक बार राजनीतिक कारणों से किया गया है। बंगाल में संविद जो सरकार के समय में ऐसा ही हुआ। पर मेरे विचार से वहां साम्यवादी दल (मार्क०) द्वारा या पुलिस द्वारा स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सका बल्कि श्रीमती इन्दरा गांधी ने जो राजनीतिक बुद्धिमत्ता दिखाई, उससे जनता प्रभावित हुई। यदि किसी राज्य में एक राजनीतिक दल के उकसाने से विद्रोह को स्थिति पैदा हो जाती है तो उसका सामना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा न करके प्रगतिशील जन-आन्दोलन द्वारा किया जाये। ज्यों ही सरकार जनता में यह भावना भर देगी कि किसी स्थिति का सामना पुलिस द्वारा ही हो सकता है तो उससे बहुत समस्याएं उठ खड़ी होंगी। तथा उस कारण उस उद्देश्य की सिद्धि न होगी जिसके लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है।

एक बात विधि मंत्री ने यह कही है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजने से न्यायालय में मामला भेजने से बचा जा सकेगा। लेकिन क्या इसी कारण इस उपबंध को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया है कि स्थायात्वि विरोधी शक्तियां क्षेत्रीय भावना को भड़का सकती हैं। हम इसे अस्वीकार नहीं करते परन्तु इस समस्या का समाधान यह नहीं है। राज्यपाल केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। आप उन्हें अतिरिक्त अधिकार देकर स्वतंत्र रूप से काम करने दें। वह आपको विशेष प्रतिवेदन दे जिसके अनुसार आप स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही करें। जिस को अदालत में चुनौती न दी जा सक। आप ऐसा तो कर सकते हैं। पर संविधान में केन्द्र को किसी राज्य में सेना भेजने का मनमाना उपबंध नहीं करना चाहिए।

हम कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है। यदि ऐसा है तो उसका अर्थ है कि लोकतंत्र सर्वोच्च है और लोकतंत्र में सत्ता आज एक दल के पास है तो कल किसी और के पास जा सकती है। इस सन्दर्भ में इस खण्ड की व्याख्या से इस देश की एकता सुदढ नहीं होगी। इससे केवल विघटन

को ही बढ़ावा मिलेगा क्योंकि एकाधिकार प्रस, जो स्थिति का लाभ उठा सकती है, की सभी गतिविधियों को रोकने के लिए वचनबद्ध नहीं हैं। यह सेंसर प्रेस क्या करता है? प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रमों को हर रोज नहीं बताया जाता। अतः ये शक्तियां अभी भी सक्रिय हैं और मौका मिलने पर वे कभी भी सरकार की गतिविधियों को दबाने के लिए कुछ मनमानी कार्यवाही करेंगी। इसी कारण मैंने अपील की है कि राज्यपाल के हाथों को मजबूत करने के लिए उपबन्ध किया जाये। राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर ऐसा किया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि संसद चाहे तो वह इस प्रकार के सेनाओं को वापस बुला सकती है। आपने कहा है कि संसद विधान के द्वारा सेनाओं आदि को विनियमित करेगी। हम भी यह कहते हैं कि संसद यदि चाहे तो सेनाओं को वापस बुला सकती है। आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इस बारे में राज्य की स्थिति क्या होगी। माना कल पश्चिमी बंगाल के एक भाग में अव्यवस्था है और वहां पर एक निर्वाचित विधान सभा है। इससे मैं सहमत हूं कि आप सेना वहां भेज सकते हैं। परन्तु वहां पर विधान सभा की स्थिति क्या होगी? क्या उसे भंग कर दिया जायेगा या निलम्बित रखा जायगा? ये सब बातें स्पष्ट की जानी चाहिएं ताकि इस संशोधन को इस ढ़ंग से स्वीकार किया जाय कि लोग आप को गलत न समझें। अन्यथा, मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा कुछ नौकरशाह लोगों के प्रति वफादार नहीं हैं। हम जानते हैं कि गत 20 वर्षों से इन्होंने किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक और आनन्द मार्गी अपराधियों को बचाया है और उन्हें यह बताया है कि आसूचना विभाग के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या आप सोचते हैं कि क्या ये सभी नौकरशाह समाजवाद के उदय के पक्ष में हो गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये लोग वही काम करेंगे जो प्रधान मंत्री चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इन शत्रुओं के हाथों में शक्ति दे रहे हैं। इन बातों को वही लोग क्रियान्वित करेंगे, वे इसकी व्याख्या अलग ढ़ंग से करेंगे।

अतः मैं विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधनों पर विचार करें।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम (तंजावूर) मेरी समझ में यह संशोधन नहीं आता। स्वतंत्रता के 28 वर्ष बाद भी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों को नहीं माना है। 1967 के चुनावों के बाद कुछ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनीं थी। उस समय भी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की हिदायतों का पालन नहीं किया हो। इस संशोधन के द्वारा सरकार राज्य और केन्द्र की समान्तर शक्तियों की व्यवस्था कर रही है। इससे न केवल राज्यों के पुलिस अधीक्षकों में ही बल्कि लोगों में भी भ्रम पैदा हो सकता है। भारत में लोकतंत्र है और यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्र और राज्यों में सदैव एक ही दल सत्ता में हो। कभी केन्द्र में एक दल सत्ता में हो सकता है तो राज्यों में कोई और दल सतारूढ हो सकता है। ऐसा होने पर यदि केन्द्र एक निर्देश देता है और राज्य सरकार दूसरा, तो इससे काफी गड़बड़ पैदा हो सकती है। अब भी वर्तमान संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है यदि उस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा भी वहां पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्र अपनी सेना भेज सकता है। इस कारण मैं खंड 43 का विरोध करता हूं।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): Though we have supported the Constitution (Amendment) Bill, yet there are certain provisions in this Bill which we cannot support and this clause is one of them. There is already a provision in our Constitution that in case the problem of law and order arises in a state, the centre

can send their forces on demand from the State Government. But I fail to understand why the centre felt the necessity of having all these rights with them. This provision will create misunderstanding among the people.

Shri Sankar Dayal Singh has supported it and said that the 'treason' should be added to it. I fail to understand who will decide it. People have got the democratic right to hold demonstrations and speak against the wrong doings of the Government. He wants that this right should be curbed. The hon. Minister should look into it.

I, therefore, request that Government may withdraw this amendment. If it is necessary, we can make a little alteration here and there in the original provision, but its aim must be maintained. Government have already got all the rights. Hence this amendment is not necessary.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : हमने सरकार द्वारा इस खण्ड के समूचे संशोधन को वापस लेने के लिए एक संशोधन भेजा है क्योंकि हमें डर है कि यह कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप है। हमें कानून और व्यवस्था के राज्य विषय में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप क्षेप नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य और केन्द्र की समस्याओं को हल करने के बजाय हमें ऐसा संशोधन नहीं करना चाहिए जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़े।

राज्य सरकार मशीनरी पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यपाल केन्द्रीय सरकार और भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। क्या आप का विचार है कि राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है? उसे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने का अधिकार प्राप्त है। अतः आप के पास संविधान के कतिपय उपबन्धों के अन्तर्गत स्थानीय सरकार को बर्खास्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अतः खण्ड 43 के अन्तर्गत यह संशोधन अनावश्यक है।

अब हम शिक्षा को भी समवर्ती सूची में शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने नदी जल विवादों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इससे ये जल विवाद हल होंगे। यह सच है कि इन्हें हल करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है परन्तु 44वें संशोधन विधेयक में अविलम्बनीय समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है। इसके बदले हमने अनावश्यक समस्यायें खड़ी कर दी हैं।

किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए न केवल केन्द्रीय सरकार को बल्कि इस संसद को और राष्ट्रपटि को सभी अधिकार प्राप्त हैं। अतः यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम नहीं चला सकती या वित्तीय रूप से दिवालिया हो जाती है या संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य प्रशासन नहीं चला सकती तो उसे बर्खास्त करने की सभी शक्तियां आपको प्राप्त हैं। लोग इससे शक करेंगे कि राज्य सरकारों से सभी शक्तियां छीनी जा रही हैं। आप राज्य सरकारों के अधिकार नगर पालिका और स्थानीय पंचायतों के अधिकारों से कम कर रहे हैं। यदि राज्य सरकारों को उनके वर्तमान अधिकार नहीं दिए जात तो वे 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं कर पायेंगी। अत : मैं इस संशोधन से खण्ड 43 को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : कहा गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या होने पर केन्द्र को उसमें हस्तक्षेप करने के अधिकार दिए जायें। यह बात सही नहीं है। खण्ड में कहा गया है कि अत्यधिक खराब स्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है और केन्द्र की सेनाएं

राज्य में भेजी जा सकती है। कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति में इस खण्ड के अन्तर्गत इन शक्तियो का प्रयोग नहीं किया जायेगा। वास्तव में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केवल गम्भीर स्थिति में ही ऐसा आवश्यक होगा जब केन्द्रीय सेनायें भेजी जायें और इस खण्ड के अधिकार का उपयोग किया जाये ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इसका निर्णय कौन करेगा, तो यह स्पष्ट है कि केन्द्र को अधिकार मिलने पर यह काम निश्चय ही केन्द्र करेगा। इन में सन्देह होने का कोई कारण ही नहीं है। जब बहुत से अन्य मामलों में केन्द्र पर विश्वास किया जा सकता है तो मैं यह नहीं समझ सकता कि कानून और व्यवस्था के मामले में भी केन्द्र पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता।

खण्ड में "कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति" शब्द आते हैं। "गम्भीर" शब्द का कुछ अपना अर्थ है। इससे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि कानून और व्यवस्था को सामान्य स्थिति बनाये रखने का अधिकार उसका ही है। केन्द्र तो केवल उस स्थिति में इस अधिकार का उपयोग करेगा जब यह बहुत गम्भीर हो और केन्द्र का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाये।

ऐसी बात नहीं कि हमें इस बारे में कोई अनुभव नहीं है। सरकार का यह उद्देश्य होगा कि संविधान का अंग बनने के बाद इस खण्ड का उपयोग राज्य सरकार के परामर्श के बिना नहीं किया जायेगा। चाहे राज्य में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो कानून और व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार के साथ झगड़ा कौन पसन्द करता है। सन्देह तभी पैदा हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार पर विश्वास नहीं किया जाये। केन्द्रीय सरकार को समूचे देश में लोगों का विश्वास प्राप्त है। कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति से निपटना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है।

जहां तक राष्ट्रद्रोह का सम्बन्ध है, इसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं सदस्यों से सहमत हूं कि सरकार और संसद को राष्ट्रद्रोह को रोकने के लिए यथासम्भव भरसक कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि हमारे देश की एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और यह हिन्दी होनी चाहिए। परन्तु हमें किसी पर कोई बात थोपनी नहीं चाहिए। इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी हुए और राज्य सरकार को बड़ी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने लोगों के विरुद्ध ही कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी। ऐसी गम्भीर स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। सामान्य स्थिति में नहीं। इस खण्ड का यही उद्देश्य है और मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वासन देता हूं कि कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति से निपटने के लिए इस खण्ड का प्रयोग किया नहीं जायेगा।

खण्ड 44

Clause 44

श्री ओ० वी० अलगेशन : (तिरूत्तवी) मैं संशोधन संख्या 332 पेश करता हूं।

श्री धरनीधर दास : मैं संशोधन संख्या 345 पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 477 और 478 पेश करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मुझे प्रसन्नता होती यदि प्रस्तावक अनुच्छेद 311 को संविधान से सर्वथा हटाने का प्रस्ताव पेश करते। यह खण्ड आई० सी० एस० अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करता है। संविधान बनाते समय बेशक इसकी आवश्यकता रही होगी लेकिन अब हमारे सामने ऐसी कोई मजबरी नहीं है। हमें परिणामस्वरुप स्वच्छ और कुशल प्रशासन की आवश्यकता है। अब सरकार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती, जिससे कर्मचारियों में अनुशासनहीनता व्याप्त है। यह उपबन्ध इस अनुशासनहीनता को रोकने और प्रशासन को कुशल और साफ सुथरा बनाने के लिए लाया गया है।

संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि दोबारा अवसर प्रदान करना आवश्यक है। तथा यह सरकारी कर्मचारी का अहस्तक्षेपीय अधिकार है। उसे ऐसा क्यों समझना चाहिए? अपने बचाव के लिए साक्ष्य आदि इकट्ठा करना और जांच कराने का अधिकार तो सामान्य प्रशासनिक नियमों और विनियमों में दिया जा सकता है। फिर इसे इतना महत्व क्यों दिया जाये कि इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया जाये। अत : नए उपबन्ध को संविधान से हटा लिया जाये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री धरणीधर दास (मंगलदायी) मैंने अनुच्छेद 311 का सर्वथा लोप किए जाने के लिए संशोधन पेश किया है यह अनुच्छेद 311 को सुरक्षा प्रदान करता है।

हम समाजवादी आर्थिक क्रांति के आड़े आने वाली प्रत्येक बाधा को हटाने के लिए उत्सुक हैं। आपातस्थिति के दौरान लोकतंत्र विरोधी और क्रांतिकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधक सिद्ध होने वाले अधिकारियों को या तो निकाल दिया गया है या मुअत्तल कर दिया गया है और इस प्रकार अनुशासन की स्थापना की गई है। इसे लोगों ने अत्यधिक पसन्द किया है। इसलिए अनुच्छेद 311 को हटा दिया जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए गए अधिकारों को कम न किया जाये। आपात-स्थिति के कारण और वैसे भी आपको बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके अन्तर्गत आप भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 311 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अनुच्छेद का वर्तमान स्वरूप 1963 में सभा की सामूहिक बुद्धिमत्ता का परिणाम है।

दुर्भाग्य की बात है कि संशोधन को अन्तिम रूप देने से पहले विधि मंत्री ने इस पर कर्मचारियों से उनके विचार जानने के लिए चर्चा नहीं की। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि पंक्ति 6 से

10 का लोप किया जाये । हम उसके स्थानों पर पंक्ति 13 से 17 निम्न प्रकार से जोड़ना चाहते हैं :

"परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात् ऐसा दण्ड अधिरोपित करने की प्रस्थापन है वहां ऐसा दण्ड ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर ऐसे व्यक्ति का प्रस्थापित दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् अधिरोपित किया जा सकगा ।"

हम चाहते हैं कि दो अवसर दिए जायें, एक तब जब चार्जशीट दी जाये, उसका उत्तर देने के लिए और दूसरा तब जब ऐसा कारण बताओ नोटिस दिया जाये । क्या यह बहुत अधिक है ? यदि सरकार हमारा संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हैं, तो पहले वाली स्थिति ही रहने दी जाये । वे इसे भी वापस ले लें ।

खण्ड 46 में न्यायाधिकरणों का गठन करने की व्यवस्था है । इन न्यायाधिकरणों का क्षेत्र भी सीमित है । केन्द्रीय सरकार के सभी मामले इन न्यायाधिकरणों में पायेंगे । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 311 का लोप करने या उसमें संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): Mr. Speaker, In Article 311, some safeguards have been provided for the Central Government and State Government employees but the percentage of these employees is very low. But now the question arises as to how far it is justified to provide all thee safeguards for them.

In my amendment, I have proposed for the deletion of Article 311. Some tribunals are proposed to be set up under clause 46. My submission is that the cases concerning the protection provided to Government employee under Article 311 should be referred to these tribunals. This will help speedy disposal of the cases. No employee can be reduced in rank without holding a proper enquiry against him. These days people are very unhappy with Government servants. Their rights should be curtailed and Article 311 of the Constitution should be deleted.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : खण्ड 43 का पुरःस्थापन करके मंत्री महोदय श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों को अपील के अधिकार से वंचित कर रहे हैं । अभियुक्त को अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के समक्ष सफ़ाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिये । कर्मचारियों को यह अधिकार काफ़ी लम्बे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ था और अब आप इसे छीन रहे हैं । सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले उन्हें अपनी बात पर स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये । अतः मेरा यह संशोधन संशोधी विधेयक की भावना के अनुरुप है जिसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है ।

श्री ए० आर० गोखले : यह अनुच्छेद हमारे संविधान को भारत सरकार अधिनियम की बपौती के रूप में प्राप्त हुआ है ।

यह सोचना गलत है कि हम कर्मचारियों को अपनी सफ़ाई देने के उचित अवसर से वंचित कर रहे हैं । वास्तव में अनुच्छेद के पहले भाग में कहा गया है कि अपनी बात स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान किये बिना किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जायेगा

अथवा उसका रैंक नहीं घटाया जायेगा । यह बात ज्यों की त्यों है । कोई भी व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसके बारे में प्रतिस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ़ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो । अब प्रश्न यह है कि क्या जांच समाप्त होने के बाद भी एक और अवसर दिया जाना चाहिये । जब जांच करने वाला व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी आरोप अथवा उनमें से कुछ आरोप ठीक हैं तो क्या फ़िर भी कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड में कमी कराने का अवसर प्रदान किया जाये । हम यह महसूस करते हैं कि संशोधन का यह प्रस्ताव युक्तियुक्त अवसर की धारणा से कोई अलग नहीं है ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि सम्पूर्ण अनुच्छेद का लोप कर दिया जाये । इसका अर्थ यह हुआ कि अभियुक्त को कारण बताने का जो युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है वह भी अब समाप्त कर दिया जाये । लेकिन हमारा आशय यह नहीं है । कुछ लोगों का कहना है कि इस अनुच्छेद को ही समाप्त कर देना चाहिये । लेकिन यह हमारा प्रस्ताव नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि जांच के बाद दण्ड का निर्णय किये जाने के बाद भी प्रभावित व्यक्ति को प्रस्तावित दण्ड के उत्तर में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाये ।

श्री एच० आर० गोखले : आप यह कहना चाहते हैं कि प्रारम्भिक जांच के समय स्पष्टीकरण देने का अवसर काफ़ी नहीं है । किसी व्यक्ति के विरुद्ध जांच किये जाने के बाद भी उसे प्रस्तावित दण्ड के बारे मे सूचित किया जाना चाहिए तथा उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अभ्यावेदन देना चाहता है, तो वह दे सकता है, उसे कोई नहीं रोकता । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस के लिए संवैधानिक उपबन्ध की जरूरत है ? संविधान में उपबन्ध मौजूद है कि हर व्यक्ति को उस के विरुद्ध जांच के समय उत्तर देने का अवसर दिया जाये । प्रश्न केवल इतना रहता है कि क्या जांच के बाद भी उसे अवसर दिया जाये । जब जांच करने वाला व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी आरोप अथवा उन में से कुछ आरोप ठीक हैं, तो क्या फ़िर भी कर्मचारी को दण्ड में कमी कराने का अवसर प्रदान किया जाये । हम यह महसूस करते हैं कि संशोधन का यह प्रस्ताव युक्तियुक्त अवसर की धारणा से अलग नहीं है ।

श्री धरणीधर ने सुझाव दिया था कि सम्पूर्ण अनुच्छेद का लोप किया जाये । इसका अर्थ यह हुआ कि अभियुक्त को कारण बताने का जो युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है, उसे उस से भी वंचित किया जाये । लेकिन हमारा आशय यह नहीं है । कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्ध क्यों किये जा रहे हैं, साधारण कानून ही काफी है । इन बातों पर उचित समय पर विचार किया जा सकता है । अतः ये संशोधन स्वीकार्य नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर चर्चा समाप्त होती है । अब हम खण्ड 45 पर विचार करेंगे ।

खण्ड 45

Clause 45

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तपुजा) : मैं अपने संशोधन संख्या 191 और 651 पेश करता हूं ।

श्री के० मायातेवर : मैं अपना संशोधन संख्या 541 पेश करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं सभा का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त की ओर दिलाना चाहता हूं । खंड (4) इस प्रकार है :—

> "(4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबन्ध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 का संशोधन करने वाले ऐसे उपबन्ध भी हो सकेंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी कोई विधि, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए, इस संविधान का संशोधन करने वाली नहीं समझी जायेगी ।"

यदि इस उपबन्ध की पैचिदगियों पर विचार किया जाये, तो यह संवैधानिक सिद्धान्तों के विरूद्ध प्रतीत होता है । भाग 6 का अध्याय 6 संविधान का अंग है तथा उसमें पांच अनुच्छेद हैं । अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया निर्दिष्ट है । लेकिन खण्ड 45 के प्रस्तावित उपखण्ड (4) में कहा गया है कि संविधान के विशेष अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए कानून पास किया जा सकता है और यह कानून अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन नहीं समझा जायेगा । ये दो परस्पर विरोधी बातें है । पहली तो यह कि क्या संवैधानिक शक्ति संसद् की विधायीशक्ति के अन्तर्गत आती है । संवैधानिक शक्ति तथा विधायी शक्ति दोनों अलग अलग हैं । इस खण्ड का संविधान के पांच अनुच्छेदों पर प्रभाव पड़ता है । हम न्यायपालिका को दोष देते हैं कि वह हस्पक्षेप करती है, परन्तु क्या इस प्रकार के उपबन्ध करना उचित है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]
DEPUTY SPEAKER *in the chair*

इस असाधारण उपबन्ध द्वारा संसद् को संवैधानिक अधिकारों को सौंपना और कहना कि वह असाधारण बहुमत से इस संविधान के किसी भी अनुच्छेद का संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 का उल्लंघन है । यह एक आवश्यक उपबन्ध है और हम इससे दूर जा रहे हैं । अतः यह पूर्णतया असंवैधानिक है और बिल्कुल गलत है ।

अनुच्छेद 368 हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है । इस में संसद् द्वारा पास किये गये साधारण कानून के माध्यम से अन्तःक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । हम इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 का उपहास कर रहे हैं । अध्याय 6 में सरकार कह सकती थी कि न्यायिक सेवा का नियंत्रण अमुक कानून द्वारा किया जा सकता है । सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए । वर्तमान उपबन्ध एक प्रकार से अनुच्छेद 368 को समाप्त करना है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक है ।

संवैधानिक शक्ति और विधायी शक्ति बिल्कुल भिन्न-भिन्न है। विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, संवैधानिक शक्ति का नहीं। अब यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि संवैधानिक शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। यह प्रत्यायोजन योग्य शक्ति नहीं है। ऐसा करना असंवैधानिक और गैर-कानूनी है।

श्री के० मायातेवर: जैसा कि आप को ज्ञात है अनुच्छेद 312 के उपखण्ड (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी सेवायें संविधान के आरम्भ से ही चालू की गई हैं, यह समझ में नहीं आता कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्यों आरम्भ नहीं की गई है, जब कि अनुच्छेद 236 में इस के बारे में उल्लेख किया गया है। मुझे खुशी है तथा मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि अन्ततः उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला तथा सेशन न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए पग उठाये हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सब न्यायाधीशों, प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेटों और जिला मुंसिफों को भी अनुच्छेद 312(1) और (2) में संशोधन के दौरान भारतीय न्यायिक सेवा में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री एच० आर० गोखले: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन द्वारा दिया गया तर्क प्रथम दृष्टि में बिल्कुल सही नजर आता है। परन्तु हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान में यह व्यवस्था पहले सही संविधान सभा द्वारा भी की गई है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में संसद् द्वारा यह परिवर्तन सामान्य कानून पास कर के कर सकता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि यह उपबन्ध पहली बार किया जा रहा है। कुछ विधानों के सम्बन्ध में जिन्हें कि संविधान के संशोधन के रूप में समझा जा सकता है, संविधान सभा ने आवश्यक कानून पास करने हेतु मामला संसद् पर ही छोड़ देना उचित समझा था। अतः यह कोई नई बात नहीं है कि वर्तमान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन न माना जाये।

खण्ड 45 का उद्देश्य एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाना है। इस सम्बन्ध में जो कानून बनाया जाये उस में ऐसे उपबन्ध हों, जिससे संविधान के भाग 6 अध्याय 4 का संशोधन हो सके। हमें उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसी शक्ति देनी होगी जिस के अन्तर्गत सेवा बन जाने पर वे जिला न्यायाधीशों के मामलों पर विचार कर सकें। यह केवल अनुवर्ती उपबन्ध हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हम संविधान के किसी भी उपबन्ध का संशोधन कर सकते हैं। इस के अतिरिक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कार्यपालिका के आदेश से नहीं हो सकता। इस उद्देश्य के लिए एक विधान बनाना होगा। निश्चय ही ये सब मामले संसद् के समक्ष आयेंगे। यह कोई मनमानी शक्ति नहीं है कि वह अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद् की शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर दे।

श्री सा० एम० स्टीफन: माननीय मंत्री ने मेरी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह है कि क्या उन उपबन्धों को छोड़कर, जिनके बारे में संविधान में उल्लेख

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय मन्त्री ने मेरी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह है कि क्या उन उपबन्धों को छोड़ कर, जिनके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है कि वे साधारण कानून द्वारा संशोधित किये जासकेंगे। अन्य उपबन्धों को भी साधारण कानून से संशोधित किया जा सकता है। क्या यह अनुच्छेद 368के विरुद्ध नहीं है ?

श्री एच० आर० गोखले : महोदय, यदि संविधान सभा इस प्रकार का उपबन्ध कर सकती है तो निश्चित रूप से संसद् को भी ऐसा करने का अधिकार है।

खण्ड 46

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 13, 14, 15 तथा 267 पेश करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं अपने संशोधन संख्या 72, 73, 74, 95, 96, 97 तथा 98 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (पुक्कुपुजा) : मैं अपने संशोधन संख्या 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 तथा 155 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० नारायण राव (वोबिली) : मैं अपने संशोधन संख्या 356, 357 तथा 358 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 479, 480 तथा 575 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : मैं अपना संशोधन संख्या 542 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह (चत्तरा) : मैं अपने संशोधन संख्या 565 तथा 566 प्रस्तुत करता हूं

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं अपने संशोधन संख्या 592, तथा 635 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझनूं) : मैं संशोधन संख्या 636 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 643, 644 तथा 645 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय विधेयक के खण्ड 46 का उद्देश्य एक नए भाग अर्थात् 14(क) का पुरःस्थापन करना है। इसमे ट्रिब्यूनलों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इन ट्रिब्यूनलों की स्थापना उन मामलों को निपटाने के लिए की गई है जो अन्य दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते।

प्रस्तावित अनुच्छेद 323(ख) के प्रस्तावित खण्ड 2 में कहा गया है कि खण्ड (1) के अन्तर्गत बनाए गए कानून के अनुसार वह सभी मामले जो कि ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार में आते हैं अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे लेकिन अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत वह सर्वोच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार

से बाहर नहीं रहेंगे। इस बात में कोई आपत्ति नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि ये मामले अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त क्षेत्राधिकार से बाहर न हो। हालांकि यह कहा गया है कि संसद अथवा विधान मण्डल मामलों को सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ कर अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रख सकती हैं लेकिन फिर भी इसका अर्थ यह लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत मामलों को उच्च न्यायालय के प्राप्त क्षेत्राधिकारों से बाहर नहीं रखा जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्राधिकार है। हम रिट याचिका दायर करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं अतः यह कहना अत्यन्त आवश्यक है कि मामलों को अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। इस मामले में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

अतः अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को किसी भी रूप में रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 323 क और 323(ख) में स्पष्ट रूप से उचित संशोधन किया जाए।

अनुच्छेद 323(ख) के खण्ड 2 के अन्तर्गत एक प्रावधान भी है। खण्ड 1 के अन्तर्गत लेवी निर्धारण कर का समाहरण तथा प्रवर्तन आदि मामले आते हैं। अब इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यह कर केन्द्र द्वारा लगाए गए हैं न कि राज्य द्वारा अतः इस बात को अत्यन्त स्पष्ट करने के लिए उक्त खण्ड 1 में यह जोड़ दिया जाए कि, लेवी निर्धारण, कर का समाहरण तथा प्रवर्तन जिसमें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया गया निर्धारित किया गया अथवा वसूल किया गया कर भी शामिल है। इस प्रकार स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए गए कर सम्बन्धी विवाद के मामलों को निपटाने के लिए राज्य विधान मण्डल न्यायाधिकरण बना सकता है।

वर्तमान स्थिति यह है कि बकाया राशि की वसूली के विवादास्पद मामलों में बैंकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंकों के ग्राहकों को सामान्य कानून के अन्तर्गत हानि न उठानी पड़े। अतः ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। रुग्ण उद्योगों को चलाने के लिए ट्रिब्यूनलों की स्थापना करने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। यदि ट्रिब्यूनल होंगे तो बैंकों को रुग्ण उद्योगों के लिए वित्त पोषण योजनाएं बनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बैंक स्वयं यह चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसके माध्यम से वह बकाया राशि को शीघ्र वसूल कर सकें। अतः बैंकों द्वारा बकाया राशि की वसूली करने के लिए ट्रिब्यूनलों का होना उनके हित में है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): व्यापक खण्ड 46, जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक और अन्य ट्रिब्यूनलों की स्थापना से है, के अन्तर्गत वर्तमान न्यायप्रणाली से मुंह मोड़ने का यह एक अशोभनीय उदाहरण है। अब यह सभी मामले जो कि ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार में आते हैं अन्य न्यायालयों जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए जाएं। हमारे देश में जहां कि छोटे बड़े सब प्रकार के अधिकारी और मुलाजिम हैं यदि उन्हें अपने मामले जिनमें कानून सम्बन्धी पेचीदा-

गियां निहित हैं, उच्च न्यायालय में पेश करने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो यह उनके साथ अन्याय होगा । यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मामले की प्रभावशाली और स्वतन्त्र व्याख्या कर सकते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों नहीं कर सकते । अत: वादी को कम से कम ऐसे मामलों के बारे में जहां कि कानूनी बातों पर मतभेद हो सेवा ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिए ।

अनुच्छेद 323 (ख) के अन्तर्गत कुछ अन्य प्रकार के ट्रिब्यूनलों की स्थापना की जा रही है । यह उपबन्ध वहां तक तो बहुत अच्छे हैं जहां तक कि यह ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार में आते हैं लेकिन एक अन्य उपबन्ध द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इन मामलों से सम्बन्धित सभी अपराध केवल उच्चतम न्यायालय को छोड़कर जिसे कि अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे । हम प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना कर रहे हैं जो मजिस्ट्रेट की अदालतों से भी बदतर हैं । अत: जहां तक किए गए अपराध के लिए अपराधी पर मुकदमा चलाने के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है इन्हें ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए । न्यायपालिका के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । अत: जहां अनुच्छेद 323ख में निहित मामलों से सम्बन्धित अपराधों का प्रश्न है इन्हें इन ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जाना चाहिए । अनुच्छेद 323ख में यह उपबन्ध करने का उद्देश्य है कि समुचित विधान द्वारा मुकदमे की अवधि, गवाही आदि की अवधि, गवाही आदि की विधि सहित प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके । यह समझ नहीं आता कि देश में विद्यमान साक्ष्य कानूनों को ट्रिब्यूनलों के क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जा रहा है । फ़िर यह भी कहा गया है कि यह अपनी प्रक्रिया की भी व्यवस्था करेगा । विशेष प्रक्रिया में वकील के पेश होने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है । अत: विधि मन्त्री को मेरे संशोधन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन (युवतपुजा) : भारत जैसे विशाल देश में जिसकी इतनी अधिक समस्याएं हैं वहां प्रशासनिक कानून का होना बहुत जरूरी है । यदि नागरिकों को कुछ शिकायत है तो उस शिकायत की सुनवाई होनी चाहिए तथा उसके निराकरण के लिए भी एक विभाग होना चाहिए । इन शिकायतों की सुनवाई निष्पक्ष लोगों द्वारा की जानी चाहिए । अत: ऐसे ट्रिब्यूनलों की जिन्हें कि अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, स्थापना की जाए ।

इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 223क सरकार को ट्रिब्यूनलों के गठित करने का अधिकार प्रदान करता है । यह व्यवस्था एक साधारण कानून और अधीनस्थ विधान द्वारा की जा सकती है लेकिन अब संविधान में इसे निगमित किया जा रहा है जैसे कि कोई नया अधिकार प्राप्त किया जा रहा हो । केन्द्रीय सूची की मद संख्या 61 में केवल इन शब्दों राज्य सरकार और निगमों के कर्मचारी भी के अन्तःस्थापन से उद्देश्य हल हो जाता । जबकि उपखण्ड 2 में ये केन्द्र के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों और प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की व्यवस्था है, पृष्ठ 15 में उपखण्ड 3 में कहा गया है कि खण्ड के भाग (ख) में उल्लिखित मामलों से निपटने के लिए कई ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद और भूमि सुधारों के मामले में कई ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे लेकिन प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में ऐसी कोई परम्परा नहीं है । ट्रिब्यूनलों में किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए । इसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे । इसकी जांच की जानी चाहिए ।

यदि हम अनुच्छेद 132 और 226 के अन्तर्गत मामले को उनके क्षेत्राधिकार से बाहर करना चाहते हैं तो हमें इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करना है अन्यथा न्यायालयों के क्षेत्रों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध

नहीं लगाया जा सकता। यह भी समझ लेना चाहिए कि इस उपबन्ध द्वारा कि उनके अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता अपितु उनके अधिकार और क्षेत्र में और विस्तार होगा। यह बात परम्परा से हटकर है। आशा की जाती है कि इससे प्रशासनिक कानून की एक नई शाखा का विकास होगा।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : इस समय सरकार दो प्रकार के न्यायाधिकरणों की स्थापना की बात सोच रही है। एक का सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यों से होगा और दूसरे का करों और कराधान से। अपीलीय न्यायाधिकरणों के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। जहां तक कराधान और अन्य मामलों से सम्बन्धित न्यायाधिकरणों का प्रश्न है वह तो सामान्य विधि व्यवस्था के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। यदि किसी को शिकायत हो तो वह अपीलीय न्यायाधिकरण में जा सकता है। लेकिन जहां तक सेवा सम्बन्धी मामलों का प्रश्न है इसके लिए अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत केवल उच्चतम न्यायालय में ही शिकायत की जा सकती है इस अवस्था में अपील करने का भी अधिकार नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि अपील करने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रशासनिक अपीलीय न्यायाधिकरण भी होने चाहिएं जो सेवा सम्बन्धी मामलों की सुनवाई करें।

लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने की दृष्टि से हमें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि यह कार्यपालिका के न्यायाधिकरण नहीं है अपितु यह न्यायिक न्यायाधिकरण है। क्योंकि एक आम आदमी न्यायाधिकरण को कार्यकारिणी के समान ही समझता है। अतः इसीलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा शर्तों की व्यवस्था संसद् द्वारा अथवा राज्य विधान सभाओं द्वारा की जानी चाहिए, ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि यह न्यायाधिकरण न्यायालयों के समान ही है और अन्तर केवल नाम का है। इसीलिए मैंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

आशा है मन्त्री महोदय मेरे संशोधनों पर विचार करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय सदस्यों श्री शुक्ल और श्री स्टीफ़न की कुछ बातों से सहमत हूं---निगमित किए जाने वाले उपबन्ध में कहा गया है :

> "(घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सिवाय सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का खण्ड (1) में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के विषय में अपवर्जन किया जा सकेगा।"

यदि कोई सरकारी कर्मचारी न्यायालय की शरण लेना चाहता है तो उसे उच्चतम न्यायालय ही जाना पड़ेगा। नए उपबन्ध में कहा गया है।

"संघ या किसी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या भारत सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन किसी निगम के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों के बारे में विवादों और परिवादों के न्याय निर्णयन या विचारण के लिए संसद् विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों का उपबन्ध कर सकेगी।

संशोधन विधेयक के खण्ड 46 के वर्तमान उपबन्ध का प्रभाव न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों के कर्मचारियों, निगमों के कर्मचारियों और सरकारी

उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों, सभी पर सारे देश में एक सा ही पड़ेगा। 70 लाख लोग इस न्यायाधिकरण के अन्तर्गत आ जायेंगे।

226 खण्ड के प्राधिकार को कम किया जा रहा है, और अनुच्छेद 311 में भी संशोधन किया जा रहा है। इस तरह सरकारी कर्मचारियों को न्याय प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा। खण्ड 323क के शब्दों को केवल सेवा शर्तों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें सेवा शर्तें, पद-अवनति, हटाना, पदच्युत करना, सेवा से निकाल देना, समय से पूर्व अथवा अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त करना, यह सभी बातें होनी चाहियें। यदि न्यायाधिकरण के कार्य में स्थानान्तरण के मामले भी नहीं आते तो फिर वह करेगा क्या ? पदच्युत और पदावनति आदि गम्भीर बातें हैं। अतः सरकार, स्पष्ट करे कि क्या-क्या बातें इसमें हैं, यह स्पष्ट किए जाने पर मैं अपना संशोधन वापिस लेने को तैयार हूं।

जहां तक प्रस्तावित न्यायाधिकरणों में गठन का सम्बन्ध है, इनमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा कार्मिक संघों के प्रतिनिधि होने चाहिएं जिनमें जनता का विश्वास हो। न्यायाधिकरण में प्रशासनिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। प्रशासन का दृष्टिकोण बहुत ही कठोर होता है।

खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी विवादों को भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण की परिधि में रखा जाना चाहिए ताकि श्रमिकों के इस असंगठित वर्ग को भी न्याय दिलाया जा सके।

मैं मन्त्री महोदय से यह बताने का अनुरोध करता हूं कि क्या न्यायाधिकरण के गठन आदि के सम्बन्ध में कोई और विधेयक लाया जाएगा।

श्री के० मयातेवर (डिंडीगल) : इस संशोधन के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में स्थापित होने वाले न्यायाधिकरणों में भर्ती और सेवा की शर्तों आदि से सम्बन्धित अनेकों मामलों पर विचार किया जाएगा। इनमें कुछ न्यायिक तथा कुछ अर्ध-अपरांधिक हो सकते हैं। परन्तु इन की याचिका सीधे उच्च न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती। अतः मेरा निवेदन है कि इनका अध्यक्ष किसी प्रशासनिक को न बनाया जाए, वह इसके योग्य नहीं, फिर चाहे वह प्रशासनिक कार्य में कितना ही योग्य न हो।

ये न्यायाधिकरण क्योंकि अत्यन्त गम्भीर मामलों पर विचार करेंगे इसलिये इनका अध्यक्ष राज्यों में उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश और केन्द्र में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये। अन्य सदस्य प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं।

न्यायाधिकरणों में सेवानिवृत्त लोगों को न रखा जायें, क्योंकि वे किसी प्रकार की ईमानदारी नहीं बरतेंगे। और भ्रष्टाचार फैलेगा।

न्यायाधिकरणों में वकीलों के पेश होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह उचित नहीं है क्योंकि इससे इन लोगों में विद्यमान बेरोजगारी और बढेगी। अतः उन्हें पेश होने की अनुमति दी जाए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सरकार एक संवैधानिक निकाय बना रही है और इस निकाय को वह सब कुछ करने का अधिकार होगा जो कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को है अतः इस बात में कोई कारण नजर नहीं आता कि उन्हें

हमारी सेवाओं को राष्ट्र के अधिकाधिक हित में ठीक रूप में रखने की पूरी जिम्मेदारी क्यों न सौंप दी जाये ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त समान रूप से एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जा रही है । यह एक अच्छा कदम है । इसकी भारत के न्यायाधीशों को आवश्यकता थी । परन्तु यह उस दशा में किया जा रहा जबकि उत्पादन कार्यों में लगे तकनीशियनों, इंजीनियरों आदि के सम्बन्ध में किए गए ऐसे वादे को पूरा नहीं किया गया है । इस पर विचार किया जाए ।

यद्यपि प्रस्तावित न्यायाधिकरणों को बृहत् शक्तियां दी जा रही हैं किन्तु इसके सदस्यों को संविधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है । यह उचित नहीं इसके अभाव में न्यायधिकरण अधिक सहायक सिद्ध नहीं होंगे । ऐसी आशंका है कि इन न्यायाधिकरणों में सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और न्यायाधीश होंगे ।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat): I congratulate the minister for setting up separate Tribunals for each of the states. But a single Tribunal will not be sufficient for the big states like U.P., Tamil Nadu, Maharashtra M.P. etc. with this view I have given the amendment that the Tribunal should be set up according to the size of the state, so as to set justice early. It is a very simple amendment and should be accepted.

The members of Tribunals should be competent one and persons promising the problems of the public.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): The Tribunals will have to the right to deal with te question of production, procurement, supply and distribution of food grains. But certain other thing, which are also essential, have been left out. So my suggestion is that essential commodities should also be included in this clause. It will give relief to producers of food grains.

But these tribunals shall not be empowered to fix rates of articles such as fertilizers, steel, cement, drugs etc. I want that these proposed tribunals should be empowered to deal with matters relating to production, procurement, supply and distribution of these essential goods. But there are certain other things which are as vital and important as food. These had been left out. These essential goods should also be included in this clause.

The functioning of the tribunals has also been prescribed in the Bill. The rule of limitation and the law of evidence are basic laws. We should not totally dispense with these laws simply on this ground that they can create some delay.

High Courts should have an appellate jurisdiction over these tribunals, otherwise this may result in hardship to the common man.

Shri M. C. Daga (Pali): I cannot understand how a poor employee belonging to some remote part of Rajasthan or some other State can file an appeal in the Supreme Court. The present provision in clause 46 is likely to create difficulty for Government employees.

It may not be possible for the Supreme Court to exercise control and supervision over all the tribunals constituted in the country. Moreover, the suspects entrusted to the administrative tribunals are many and those may cover not only

the Central and State Governments but all public undertakings and local bodies also. After a dispute it has been decided by the tribunal that appeal can be filed only in the Supreme Court. The High Courts shall have no jurisdiction or powers. This will create many difficulties. Therefore my amendment seeks that High Courts shall have jurisdiction over these tribunals and the procedure to the followed by these tribunals should be in accordance with the provisions of Civil Procedure Code.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Two new articles 323(A) and 323(b) are being added by clause 46 of the proposed Bill. I have given two amendment to article 323(a).

Matters relating to the demotion, compulsory retirement or dismissal etc. of employees should be allowed to be taken to administrative tribunals. The affected employees must get an opportunity of seeking remedy for the action taken against them. Government should allow all the dismissed Railway employees to go to the tribunal. I have seen that a large number of Railway employees are being dismissed from the service. These cases should allowed to be taken to the tribunal.

Retired bureaucrats should not be included in the proposed administrative tribunals as they will favour the Government because their appointment depends on the pleasure of Government. We can not expect justice from these people.

Secondly I have mentioned in my second amendment who should be included in these tribunals. Representatives of trade unions and persons having knowledge of Labour laws should be included in the administrative tribunals.

The tribunals being appointed under the provisions of the proposed article 323B shall be empowered to adjudicate in industrial and labour disputes. There should be a specific mention of agricultural labourers in this provision so that these tribunals may consider their cases also.

श्री एच० आर० गोखले : इस रोचक विषय पर चर्चा के दौरान बहुत सी भ्रामक बातें कही गई है जिन्हें मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रस्तावित अनुच्छेद 323क के अन्तर्गत केवल संसद् को ही कानून बनाने का अधिकार है। न्यायाधिकरणों के संविधान या उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर उन्हें निर्णय देने का कार्य सौंपा गया है, उनके सम्बन्ध में यह स्वत: पूर्ण संहिता नहीं है। अत: संविधान में संशोधन करने के तुरन्त पश्चात् हमें संशोधी उपबन्धों के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले विभिन्न न्यायाधिकरणों के सम्बन्ध में सभा में तीन विधान पेश करने पड़ेंगे।

श्री स्टीफन ने स्वयं बताया है कि कुछ कतिपय मामलों में न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को समाप्त किया गया है और इस लिये न्यायाधिकरणों की स्थापना करनी है। अत: इस सम्बन्ध में संविधान में कुछ उपबन्ध करने आवश्यक हैं। किन्तु उनकी शिकायत यह है कि अन्य सभी उपबन्ध, जो कि न्यायाधिकरणों के लिए बनाये गये हैं, संविधान में नहीं होने चाहिये क्योंकि वर्तमान संविधान में इसके लिये पर्याप्त उपबन्ध है।

प्रश्न यह है कि अब हम एक न्यायाधिकरण की स्थापना कर रहे हैं जिसे हम व्यापक क्षेत्राधिकार दे रहे हैं। वह ऐसा क्षेत्राधिकार है जिससे उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है और केवल अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय को ही विशेष अपील सुनने का अधिकार होगा। अब इस तरह की विशेष शक्तियां न्यायाधिकरण को दी जा रही हैं

जिससे कि संविधान में कोई भी व्यर्थ की बात रखना खतरनाक है। जिसके फलस्वरूप कानून संसद् की आशाओं के विपरीत जा सकता है। अतः संसद् को यह बताना आवश्यक है कि न केवल न्यायाधिकरण का गठन ही किया जाये अपितु इन न्यायाधिकरणों की विशेष सीमा के अन्दर तथा विशेष प्रयोजनों के लिये कार्य करना चाहिये ।

उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 323क में केवल न्यायाधिकरण का उल्लेख है जिसका अर्थ यह है कि केवल एक ही न्यायाधिकरण होगा और अनुच्छेद 323ख का सम्बन्ध न्यायाधिकरणों के गठन से है। यह गलती इसे तैयार करने में नहीं हुई। अपितु ऐसा जानबूझकर किया गया है। संघ या राज्यों के कर्मचारियों के सेवा शर्तों को बनाये रखने के लिये संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं। इन नियमों में कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा अन्य मामलों सम्बन्धी शिकायतों को सुनने के लिये विभिन्न निकायों की व्यवस्था की गई है और उचित यही समझा गया है कि जब सारी उपचारात्मक बातें हैं तो फिर एक ही न्यायाधिकरण होना चाहिये जो कि इन मामलों के सम्बन्ध में मूल शिकायतों को सुनने के लिये बैठेगा।

अनुच्छेद 323ख में कुछ सीमा तक न्यायाधिकरणों का उल्लेख है क्योंकि उन्हें इस अनुच्छेद में उल्लिखित कई मामलों पर विचार करना होता है ।

यहां सेवा की शर्तों तथा भर्ती के बारे में कुछ शिकायत व्यक्त की गई हैं। एक सदस्य ने लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया है। हमारा यह इरादा नहीं है कि ये न्यायाधिकरण नियुक्त करने वाले अभिकरण बन जायें। भर्ती का काम संघ लोक सेवा आयोग या विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्ववत रूप से किया जाता रहेगा। जहां कहीं संघ लोक सेवा आयोग के बिना भर्ती की जाती रहेगी वह उसी तरह से की जाती रहेगी जैसे कि अब तक होती रही है। न्यायाधिकरण का तो यह काम होगा कि वह किसी शिकायत या भर्ती सम्बन्धी किसी विवाद पर विचार करेगा ।

कुछ ऐसी आशंका भी व्यक्त की गई है कि अनुच्छेद 311 में सेवा की शर्तों को कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है, जिसमें सेवा की शर्तों को स्थान दिया गया हो, क्योंकि इस अनुच्छेद में सेवा की शर्तों को संवैधानिक गारंटी दी गई है। किसी भी अन्य नियम या संविधि में प्रत्येक सरकारी कमचारी की सेवा की शर्तों को उतना महत्व नहीं दिया गया है, जितना इस अनुच्छेद में है ।

यह सन्देह करने में कोई औचित्य नहीं है कि ये न्यायाधिकरण कर्मचारियों, कर्मकारों तथा अन्य लोगों के सहयोग से सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकते ।

एक सदस्य ने कहा है कि वकीलों को इन न्यायाधिकरणों के समक्ष आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। यह सर्वविदित तथ्य है कि कुछ न्यायाधिकरणों में वकीलों के जाने पर रोक लगाई गई है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम में जब तक दूसरा पक्ष अनुमति नहीं देगा तब तक वकील न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो सकता। इस समय ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत यह विचार है कि इन मामलों के सम्बन्ध में नीति तैयार की जाएगी। पता नहीं कुछ असाधारण मामलों में वकीलों को उच्च न्यायालयों में जाने की अनुमति दी जाती है जब कि ऐसे मामले न्यायाधिकरणों को

सौंपे जा रहे हैं। ऐसे मामलों में वकीलों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। लेकिन फिर भी इस मामले पर विचार किया जा सकता है और सरकार इस पर बाद में निर्णय लेगी।

न्यायाधिकरणों के गठन के बारे में संविधान में कुछ नियम निर्धारित करना कठिन है क्योंकि इस मामले पर उस समय विचार किया जाये जब कि यह मामला सदन में पेश होगा। न्यायाधिकरण का गठन उसके स्वरूप, तथा जिस उद्देश्य के लिए उसे गठित किया जा रहा है, उस पर निर्भर करेगा। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधिकरण में केवल वही लोग जायें जिनमें लोगों का विश्वास हो। यह आवश्यक नहीं हो कि इनमें केवल न्याविद ही रखे जायेंगे। यद्यपि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी रखे जायें जिन्हें न्यायपालिका का कुछ अनुभव हो। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक न्यायाधिकरण में ऐसे व्यक्ति अवश्य ही हों। उदाहरण के लिये आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में सभी लोग न्यायविद नहीं हैं फिर भी उसका कार्य नितान्त सन्तोषजनक चल रहा है। जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक प्रशासक नियुक्त करने का प्रश्न है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। न्यायाधिकरण बनाने के लिये अन्तिम निर्णय लेते समय हम सब बातों पर ध्यान देंगे। . . . . . (**व्यवधान**)।

पहले भी राज्यों में न्यायाधिकरण बने हुये हैं यह एक अच्छी चीज है और यहां न्यायाधिकरण बनाने के प्रस्ताव का प्रायः सदस्यों ने स्वागत ही किया है।

श्री शंकर राव सावंत : क्या केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर बनाये गये न्यायाधिकरण के गठन और कृत्य भी आयेंगे।

श्री एच० आर० गोखले : यह तो स्पष्ट है। न्यायाधिकरण तो एक राज्य या एक साथ कई राज्यों के लिये भी हो सकता है।

श्री के० नारायण राव : सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों का भी उल्लेख है। "सरकार द्वारा नियंत्रित" शब्दों का क्या अभिप्राय है। क्या सरकार से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार है या राज्य सरकार भी उसमें आती हैं।

श्री एच० आर० गोखले : भारतीय कम्पनी अधिनियम में इसकी स्पष्ट परिभाषा की गई है।

श्री के० नारायण राव : क्या राज्य सरकारों के अधीन सरकारी उपक्रम भी इस अधिनियम के अधीन आयेंगे?

श्री एच० आर० गोखले : मैं वही कह रहा हूं। सरकारी कम्पनियों और सरकारी अधिकार के निगमों में अन्तर है। शायद सरकारी कम्पनियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

खण्ड 47

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 47 को लेंगे।

श्री पी. आर० शिनाय द्वारा संशोधन संख्या 36 और 268 प्रस्तुत किये गये।

श्री कार्तिक उराव द्वारा संशोधन संख्या 425 प्रस्तुत किया गया।

श्री पी० आर० शिनये : खण्ड 47 का सम्बन्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से है । अब इस संशोधन द्वारा 2000 ए० डी० तक किसी नई जाति को उपरोक्त जातियों या जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा । यह उचित नहीं है । मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण इन जातियों के आरक्षण के लिये निर्धारित स्थान भी बढ़ा दिये जायें । विधान मंडलों में उनके अधिक स्थान निर्धारित किये जायें ।

श्री कार्तिक उरांव : हमने 2 अप्रैल, 1976 को अनुसूचित जातियां और जनजातियां विधेयक, 1976 पास किया है जिसके कारण इनकी जनसंख्या 50 लाख बढ़ गई है । लेकिन 44वें संशोधन विधेयक में कहा गया है कि 1971 के जनसंख्या आंकड़ों को आधार माना जायेगा । इसका अर्थ है कि हम स्वयं उस अधिनियम को नहीं मान रहे । इस त्रुटि को दूर करने के लिए मैंने संशोधन रखा ।

श्री एच० आर० गोखले : जो खंड हमने पहले स्वीकार किया है । यह संशोधन उसी प्रकार का है । हम इस खंड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ।

खंड 48

श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा संशोधन संख्या 576 और 577 प्रस्तुत किये गये ।

Shri Vijaypal Singh (Muzaffarnagar): Sir, there is no doubt that emergency has brought many good results. The ordinary man has been greatly benefited. But we should take care to see that the whole power does not concentrate in the hands of bureaucrats. In my own district D.M.A. was playing havoc. Innocent people have been arrested under MISA. I was kept under house arrest for 2 days. So I am pressing my amendment to avoid this misuse of power.

श्री एच० आर० गोखले : खंड 48 बहुत स्पष्ट है । अभी स्थिति यह है कि आपात स्थिति सम्पूर्ण देश में लागू की जाती है । अब यह व्यवस्था की जा रही है कि देश के किसी एक भाग में भी आपात स्थिति लागू की जा सके ताकि जहां इसे लागू करना जरूरी न हो वे क्षेत्र उस से बचे रहें । आज की परिस्थितियों में यह छूट जरूरी है ।

इसी प्रकार वर्तमान अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि या तो आपात स्थिति लागू की जा सकती है या उसे उठाया जा सकता है । अब यह व्यवस्था की जा रही है कि देश के एक भाग में आपात स्थिति उठाई जा सकती है जबकि दूसरे भाग में यह लागू रहेगी । इस का उद्देश्य केवल इतना है कि जिस क्षेत्र में अव्यववस्था या आंतरिक गड़बड़ी हो या बाह्य आक्रमण का डर हो आपात स्थिति वहीं लागू की जाये । अधिकारों के दुरुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि विशेष विधान द्वारा ही शक्तियां प्रदान की जाती है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा संशोधन संख्या 578 प्रस्तुत किया गया ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे द्वारा संशोधन संख्या 646 प्रस्तुत किया गया ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस संशोधन द्वारा सरकार देश के किसी एक भाग में आपात स्थिति लागू करने का अधिकार ले रही है । पहले एक राज्य में आपात स्थिति लागू करके बाद में यदि सरकार चाहे तो उसे अन्य राज्यों में लागू कर सकती है । इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार आपात स्थिति को पिछले दरवाजे में लाना चाहती है ।

यह बात बहुत अलोकतंत्रात्मक है और सरकार निरंकुश बन रही है। इसका अर्थ यह होगा कि आपात स्थिति उठाने पर भी सरकार जब चाहे पिछले दरवाजे से सारे देश में आपात स्थिति बनाये रख सकती है। यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इसीलिए हमने यह संशोधन रखा है।

श्री अण्णासाहेब गोटखंडे : महोदय बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर मैंने यह संशोधन रखा है। संविधान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें जो भी शब्द रखे जायें वे यथा सम्भव संक्षिप्त होने चाहियें। वर्तमान सन्दर्भ में 'किसी भी भाग में' शब्द बिल्कुल फालतू हैं।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सीमित या आंशिक आपात स्थिति लागू रहे तब तक अनुच्छेद 83 के खंड (2) के इस परन्तुक को लागू न किया जाये। इस परन्तुक द्वारा लोक सभा की अवधि को बढाया जाता है। यह संशोधन बहुत आवश्यक है।

Shri Ishaque Sambhli (Amroha): I cannot understand why Government is assuming wide powers. They should not institutionalise the emergency. At best this thing should be left to the State Legislatures. If they want to keep some of the laws they may do so. If emergency is revoked then there is no need to keep the laws of emergency.

श्री एच० आर० गोखले : यदि हम इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसके उद्देश्य को समझना कठिन नहीं होगा।

प्रश्न उठाया गया है कि आपात स्थिति के दौरान भारत भर के लिए बनाये गए कानून आपात स्थिति के बाद भी केवल एक राज्य अथवा क्षेत्र में क्यों लागू रखे जायें। यह काल्पनिक प्रश्न है। पहले तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। यदि हम कहते हैं कि आपात-स्थिति उसी राज्य तक सीमित है तो केवल उन्हीं कानूनों अथवा विशेष उपबन्धों को लागू किया जायेगा जो आपात स्थिति को उचित रूप से लागू करने तथा राज्य की स्थिति की रक्षा के लिए आवश्यक होंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत के एक छोटे से भाग में आपात स्थिति होने पर भी देश भर में कानून बनाया जाये।

एक बात सभा की कालावधि बढ़ाने सम्बन्धी संसद की शक्ति के बारे में पूछी गई है। पूछा गया है कि क्या ऐसा तब भी हो सकता है जबकि देश के किसी एक भाग में आपात स्थिति हो। पहली बात तो यह है कि संसद समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है। एक पृथक अनुच्छेद के द्वारा विधान सभा की कालावधि भी बढ़ाई जा सकती है।

खंड 50

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 16, 17 तथा 18 पेश करता हूं।

श्री कार्तिक उरांव : मैं संशोधन संख्या 426 तथा 427 पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 481 पेश करता हूं।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : मैं संशोधन संख्या 603 पेश करता हूं।

Shri Bibhuti Mishra: Article 356 is very confusing and vague. It only says that if the machinery of a state breaks down, President Rule can be imposed there. It is not clear whether the break down relates to law and order, economic measures or development works. I therefore want that it should be amend-

ed by laying down that President's rule can be imposed even when the economic development of the state is not at par with other states. The Prime Minister has repeatedly said that in some states of the country the development work is going down. Some states have lagged behind in development works. Central Government is responsible for this.

Whenever President's rule is imposed or lifted in any State, it is never cared that how much progress that particular State made during the President's rule. I suggest that if any state fails in development works, President's rule should be imposed there. It is also necessary that the President's rule is continued so long as the State do not come at par with the other States. There should be unitary form of Government in the country.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : अनुच्छेद 356 में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रपति शासन उस दशा में भी लागू किया जा सके जब राज्य के किसी भाग में क्षेत्रीय असमानता के कारण असंतोष हो । और यह तब तक लागू रहे जब तक राष्ट्रपति को इस असमानता के दूर होने का पक्का विश्वास न हो जाये । राष्ट्रपति का आसक्त होना आपात स्थिति लागू करने और उसे समाप्त करने दोनों के लिए बहुत आवश्यक है । आपात स्थिति हमेशा किसी उद्देश्य से ही लागू की जाती है । जब तक स्थिति सामान्य न हो तब तक यह जारी रहनी चाहिए । आर्थिक विषमता ही के कारण असंतोष पैदा होता है । अतः आपात स्थिति की उद्घोषणा को अधिक सार्थक बनाने के लिए मैंने अनुच्छेद 356 के खंड 4 में यह संशोधन पेश किया है ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): My amendment seeks to substitute the words "not more than six months" in place of "six months" in article 356(4). The existing provision is that Parliament has power to review the situation after six months when the President's rule has been imposed. But now after passing this Bill no review can be made about the situation under the President's rule, for one year. It will mean that President's rule can be continued for indefinite period and the democratic control on States will become loose. Therefore, it is suggested through this amendment that the period of President's rule should not exceed six months.

Shri Mool Chand Daga (Pali): President's rule is the rule of bureaucracy and nobody appreciate it. When it is laid down in article 85 that Parliament must be summoned within six months, then why it is intended to keep the period of one year for President's rule? It is against all democratic principles.

***श्री एस० डो० सोमसुन्दरम** (थंजावूर) : इस संशोधी विधेयक का खंड 50 संविधान के अनुच्छेद 356 का संशोधन करता है । जब सभा में यह खंड स्वीकार कर लिया जायेगा तो फिर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने की बजाय एक वर्ष के लिये होगा । यह संशोधन करने में क्या औचित्य है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि उस राज्य के आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त नहीं है या क्या इतनी ही अवधि से देश की प्रगति में बाधा पहुंचती है ।

संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने से अधिक समय के लिये नहीं होना चाहिये तथा 6 महीनों के बाद वहां चुनाई कराये जाने चाहियं जिस से

*तमिल में दये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद ।

कि वहां शीघ्र ही लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जा सके। इस लिये संविधान में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिये। वर्तमान संशोधन से परिस्थिति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। इस लिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : राष्ट्रपति शासन संविधानिक तंत्र के असफल होने पर ही लागू किया जा सकता है तथा वह भी राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही ऐसा हो सकता है अन्यथा नहीं। आर्थिक असामनता अथवा राज्य की प्रगति अच्छी तरह न होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात इस समय ही है परन्तु ऐसा अब करने की इच्छा व्यक्त की गई है। कुछ करना कठिन और खतरनाक है। यह आलोचना की जा सकती है कि आर्थिक असमानता या प्रगति का अनुमान राजनीतिक हित के लिये लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य यह नहीं है।

एक अन्य प्रश्न राष्ट्रपति शासन का समय छः मास से बढ़ा कर एक वर्ष करने के संबंध उठाया गया है। अनुभव से ऐसा लगा हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने पर सामान्यता विधान सभा का गठन छः मास में करना सम्भव नहीं हो सका है इसलिये यह समझा गया कि छः मास का समय बहुत कम है और एक वर्ष का समय रखा जाये। तथापि छः मास से पहले राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का उपबन्ध विद्यमान है। इसे नहीं हटाया गया है। संसद इस बात पर कभी भी चर्चा कर सकती है कि राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए या नहीं। अतः ये संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं संशोधन संख्या 482 पेश करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

पृष्ठ 17, पंक्ति 1— " shall apply to any law" "किसी कानून पर लागू होगा" के स्थान पर "shall apply also to any law" "किसी भी कानून पर लागू होगा " प्रतिस्थातित किया जाये।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : वर्तमान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 357 में यह संशोधन किया गया है कि कोई भी विधान तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसमें परिवर्तन न किया जाये या उस का निरसन न किया जाये अथवा उसमें संशोधन न किया जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाया गया कोई भी कानून हमेशा लागू रहेगा। पहले यह एक वर्ष तक लागू रहता था अब यह अनन्तकाल के लिये लागू रहेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रीय हित में कुछ कठोर उपाय किये जाते हैं। यदि इन्हें अनन्तकाल तक लागू रखा जायगा तो इस से नागरिकों पर अलोकतांत्रिक प्रभाव पड़ेगा। इस से निश्चय ही लोगों के मूल अधिकारों पर चोट पहुंचेगी। हमने अपने संशोधन में इसे एक वर्ष तक सीमित रखा है जैसी कि संविधान में अभी व्यवस्था है। उद्देश्य चाहे जो भी हो परन्तु यह निश्चित है कि इस से नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को चोट लगेगी। जहां तक श्रमिकों के हितों का संबंध है श्रमिक के उचित अधिकारों का संबंध है किसानों के अधिकारों का संबंध है इससे उनके अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा नौकरशाही मनमाने ढ़ंग से काम कर सकेगी। पहले राष्ट्र-

[श्री डी० के० पंडा]

पति के शासन काल में बनाया गया कानून एक वर्ष के लिये रहता था परन्तु अब वह अनन्त-काल तक रहेगा। राष्ट्रपति के शासन काल के दौरान राष्ट्रीय हित में कुछ कठोर उपाय किये जाते हैं। यदि उन्हें अनन्तकाल तक लागू रखा जाये, तो इस से नागरिकों पर अलोकतांत्रिक प्रभाव पड़ेगा। इस से निश्चय ही लोगों के मूल अधिकारों पर चोट पहुंचेगी। हम ने अपने संशोधन में इसे एक वर्ष तक सीमित रखा है, जैसी संविधान में व्यवस्था है।

श्री एच० आर० गोखले : महोदय, इस उपबन्ध को अलोकतंत्री बताया गया है। अब तक की स्थिति यह है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन के दौरान संसद् अथवा राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून एक वर्ष तक लागू रहता है जब तक कि राज्य विधान मंडल द्वारा उस का पहले निरसन न कर दिया जाये। राष्ट्रपति के शासन के समाप्त होने पर भी वह कानून जारी रहना है। अब हम ने केवल इतना ही किया है कि संसद् अथवा राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून जारी रहेगा। परन्तु राज्य विधान मंडल द्वारा निरसन का अधिकार समाप्त नहीं किया जा रहा है। अधिकतर मामलों में निरसन नहीं किया जाता, क्योंकि जो कानून बनाये जाते हैं, वे आवश्यक कानून ही होते हैं। अब स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अथवा संसद् द्वारा बनाया गया कानून तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उस का राज्य विधान मंडल द्वारा निरसन नहीं किया जाता। केवल एक वर्ष की शर्त हटाई जा रही है। वह स्वतः समाप्त नहीं होगा। इस में कुछ भी अलोकतंत्री नहीं है।

खण्ड 52

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

[पृष्ठ 17, पंक्ति 9 और 10

Omit "Specified in the First Schedule"

"प्रथम अनुसूची में उल्लिखित " **का लोप किया जाये।**"]

मैं अपना संशोधन संख्या 158 पेश नहीं करता।

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 637 पेश नहीं करता।

श्री अण्णासाहिब गोखिडे : मैं अपना संशोधन संख्या 647 पेश नहीं करता।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा संशोधन बहुत सरल है, परन्तु यह बहुत आवश्यक है। यहां कहा गया है कि प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में आपात स्थिति लागू की जा सकती है। मेरा संशोधन यह है कि "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित" शब्दों का लोप किया जाये। इस का कारण यह है कि संविधान के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा की गई है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं, जिन की परिभाषा न की गई हो और फिर भी वे भारत संघ क्षेत्र के हों। अतः संविधान में जहां संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट

परिभाषा दी गई है, वहां "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित" कहना अनावश्यक है । इन शब्दों का लोप किया जाना चाहिए ।

श्री एच० आर० गोखले : प्रथम अनुसुची में उल्लिखित शब्द वास्तव में ही अनावश्यक हैं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा तो संविधान में ही दी गई है । मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं ।

खण्ड 53

Clause 53

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

[पृष्ठ 17, पंक्ति 21 और 22 में,—

Omit "Specified in the First Schedule"

"प्रथम अनुसूची में उल्लिखित " का लोप किया जाये ।]

श्री एच० आर० गोखले : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं ।

श्री नवल जात गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 579 और 580 पेश करता हूं ।

यह खण्ड वहां लागू नहीं होता जहां राष्ट्रपति का शासन लागू है, बल्कि वहां लागू होता है जहां आपात की उद्घोषणा की गई है। इस खण्ड की तथा खण्ड 52 पर हमारी मूल आपत्ति यह है कि इस से देश के किसी भी भाग में आपात की उद्घोषणा किये बिना वहां आपात स्थिति लागू की जा सकती है । भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आपात की उद्घोषणा की जा सकती है । लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे प्रभावित क्षेत्र पर क्या किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लग सकता है । आज की स्थिति यह है कि समूचे देश में आपात की स्थिति लागू किये बिना किसी भाग में आपात की स्थिति लागू नहीं हो सकती । मंत्री महोदय हम से यह संशोधन स्वीकार कराना चाहते हैं । जिस से आपात की स्थिति किसी गांव, ताल्लुके या जिले में भी लगाई जा सकती है । यह अत्यधिक घातक और आपत्तिजनक है । मंत्री महोदय का आशय चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, परन्तु उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम देश के मूल कानून में संशोधन कर रहे हैं और उस में ऐसे उपबन्ध नहीं होने चाहियें । सरकार इस उपबन्ध के अनुसार किसी भी क्षेत्र में बिना आपात की घोषणा किये आपात की स्थिति के अधिकार प्राप्त कर सकेगी । यह उचित नहीं है । अतः पंक्ति 28 से 36 तक का लोप किया जाना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे ।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने मेरे आशय का उल्लेख किया है । मेरे व्यक्तिगत आशय का प्रश्न नहीं है । मेरे आशय का अर्थ विधेयक के आशय से है । प्रस्तावित अनुच्छेद की भाषा से उस का आशय स्पष्ट हो जाता है । इस संशोधन का आधार यह है कि समूचे देश में आपात की स्थिति की घोषणा करने की बजाये, देश के किसी भाग में आपात की स्थिति जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उस भाग को राज्य का समानार्थक नहीं माना जायेगा और वहां आपात स्थिति की घोषणा की जायेगी, किसी राज्य, गांव आदि में नहीं । अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत हम वास्तव में यही करने जा रहे हैं कि जब संसद् की कानून

बनाने का अधिकार है और जब आपात स्थिति के कुछ मामलों में कार्यकारी निदेश देने का अधिकार है तो उस विशेष क्षेत्र में आपात स्थिति की घोषणा नहीं की जा सकती । यदि आस-पास के राज्य में कुछ तत्वों की अवांछित गतिविधियों के कारण देश के किसी भाग में खतरा पैदा हो जाये तो उन गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ कार्यवाही करनी या कानून बनाना आवश्यक हो जाता है और राज्य की रक्षा के लिए आपात स्थिति की घोषणा की जाती है । इस विधेयक का यही आशय है ।

खण्ड 54

Clause 54

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपना संशोधन संख्या 164 पेश करता हूं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 40 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये

'(4A) "Central law" means any law other than a State law but does not include any amendment of this Constitution made under article 368;'.

'(4क) "केन्द्रीय विधि" से अभिप्रेत है किसी राज्य विधि से भिन्न कोई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन इस संविधान का कोई संशोधन इसके अन्तर्गत नहीं है ;' । (658)

पंक्ति 18,—

पंक्ति 4 के बाद निम्नलिखित **अतःस्थापित** किया जाये :—

"(f) any notification, order, scheme, rule, regulation or bye-law or any other instrument having the force of law, not falling under sub-clause (e), and made by a State Government or the Administrator of a Union territory or an officer or authority subordinate to such Government or Administrator;".

(" विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखित में (ङङ) कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम या उप-विधि अथवा विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखित जो उपखण्ड (ङ) के अन्तर्गत नहीं है और जो किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अथवा ऐसी सरकार या प्रशासक के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनाई गई है ; तथा" ।) (659)

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे संशोधन का उद्देश्य राज्य विधि को परिभाषित करना है । राज्य विधि का अर्थ है विधान मंडल द्वारा पारित सभी विधियां और मंत्री महोदय ने यह स्थिति स्वीकार की है अर्थात् यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र अथवा उस के अधीन

अधिकारियों द्वारा बनाये गये नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं चाहे किसी भी कानून के अन्तर्गत जारी की गई हों राज्य सरकार की विधियां समझी जायेंगी और उन्हें उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । मैंने अपने संशोधन में इतना सुझाव स्वीकार किया है कि यदि केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों द्वारा नियम, अधिसूचनायें आदि जारी की गई हैं तो उन्हें उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकेगा । लेकिन केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये नियम अथवा अधिसूचनायें उच्च न्यायालय में नहीं ले जायी जा सकतीं ।

खण्ड 55

Clause 55

श्री शंकर राव सावंत : मैं अपने संशोधन संख्या 347 और 348 पेश करता हूं ।

प्रो. एस० एल० सक्सेना : मैं अपना संशोधन संख्या 567 पेश करता हूं ।

श्री पी० रंगनाथ शिनाय : मैं अपना संशोधन संख्या 269 पेश करता हूं ।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : मैं अपने संशोधन संख्या 312 और 313 पेश करता हूं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 11 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये । :—

"(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article [whether before or after the commencement of sectioo 55 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976] shall be called in question in any court on any ground.

(5) For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article.".

["(4) इस संविधान के किसी संशोधन पर (जिसके अन्तर्गत भाग 3 के उपबन्ध भी हैं) जो इस अनुच्छेद के अधीन किया गया है अथवा जिसके इस प्रकार किए जाने का तात्पर्य है [चाहे संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारम्भ के पहले हो या पश्चात्] किसी न्यायालय में किसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबन्धों में परिवर्द्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद् की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार की मर्यादा नहीं होगी ।" ।]

श्री पी० आर० शिनाय : नया खण्ड जिसे अनुच्छेद 368 में जोड़े जाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार है :

"इस संविधान के किसी संशोधन पर (जिसके अन्तर्गत भाग 3 के उपबन्ध भी हैं) जो इस अनुच्छेद के अधीन किया गया है अथवा जिसके इस प्रकार किय जाने का तात्पर्य चाहे संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारम्भ के पहले हो या पश्चात्] किसी न्यायालय में इस आधार के सिवाय कोई आक्षेप नहीं किया जायगा कि वह इस अनुच्छेद द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में नहीं किया गया है।"

इसमें उन संशोधनों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही अपना निर्णय दिया है। संसद् द्वारा पारित दो संशोधन उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर अवैध घोषित किये हैं कि उनसे संविधान की मूलभूत विशेषतायें ही नष्ट हो जाती हैं। वर्तमान संशोधनों के द्वारा हम यह नहीं कह सकते कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय रद्द हो गये हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले दिये गये निर्णय बरकरार हैं कि संविधान की मूलभूत विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता। इसलिये यह कहना बहुत जरूरी है कि संसद् को संविधान के मूलभूत ढ़ांचे में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। अतः यदि हम इस समय समुचित संशोधन पास नहीं करते तो और संशोधन करने की गुंजाइश रह जायेगी।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : सभापति महोदय, यह खण्ड संविधान के निर्माताओं द्वारा अल्पसंख्यकों को दिये गये अधिकारों पर एक लटकती तलवार है। विधि मन्त्री द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने पर भी, संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में एक वाक्य भी नहीं है। श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ने इसी तरह का एक संशोधन पेश किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। आशा है माननीय मन्त्री मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : खण्ड 55 द्वारा हमने उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बढा दी हैं। इस समय उच्चतम न्यायालय में संसद् में पारित प्रक्रियाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां हमने उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दे दिया है कि वह संसद् में पारित प्रक्रियाओं को चुनौती दे सकता है। यह संविधान के वर्तमान उपबन्धों के प्रतिकूल है। खण्ड 55 का उचित रूप में संशोधन किया जाना चाहिये।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : यह संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह उस समस्त विधेयक के अनुरूप ही है जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की शक्तियां छीनी जा रही हैं।

खण्ड 55 पारित नहीं किया जाना चाहिये। संसद्, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों अंग समान हैं और न्यायपालिका की अवहेलना करना उचित नहीं है तथा न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों को बदला नहीं जाना चाहिये। यह संशोधन उचित नहीं है।

श्री एच० आर० गोखले : अनुच्छेद 368 वस्तुतः अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंने खंड 55 में एक संशोधन दिया है जिससे मूल विधेयक में संविधान संशोधन पास करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी जो कमी रह गई है वह दूर हो पायेगी, जिससे प्रक्रिया के अपनाने या उल्लंघन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

मूल स्वरूप का उल्लेख किया गया है कि हमने यह विशेष रूप से उल्लेख नही किया है कि हम संविधान और उसके मूल स्वरूप का संशोधन कर सकते है। प्रथम तो हम किसी मूल स्वरूप जैसी वस्तु को स्वीकार ही नहीं करते। हम उच्चतम न्यायालय का यह सिद्धान्त स्वीकार नही करते कि मूल स्वरुप का संशोधन नहीं किया जा सकता। खण्ड 55 में मैंने जो संशोधन दिया है उसमें इस सिद्धान्त की ओर भी ध्यान दिया गया है।

यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में किया जाने वाला संशोधन केन्द्रीय कानून होगा और केन्द्रीय कानून के सन्दर्भ में आपत्ति की जा सकती है। एक संशोधन से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद् द्वारा बनाया गया कोई कानून केन्द्रीय कानून में नहीं मिलेगा। ये सभी कठिनाईयां अब दूर हो गई हैं।

खंड 55-क (नया)

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं संशोधन संख्या 202 पेश करता हूं।

A new Article 368A should be inserted in the Constitution which should give the power to Parliament to constitute a Constitutional Panel to interpret the Constitution or decide the question of Constitutional validity of any law enacted by Parliament on State Legislature.

This amendment will take away from the Supreme Court or the High Court the Power to strike down progressive legislators passed by Parliament.

Shri H. R. Gokhale: This amendment cannot be accepted.

खण्ड 56

सभापति महोदय : इसमें कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

खण्ड 57

श्री पी० आर० शिनाय : मैं संशोधन संख्या 19 और 20 पेश करता हूं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं संशोधन संख्या 224 पेश करता हूं।

श्री अर्जुन अठी : मैं संशोधन संख्या 226 और 227 पेश करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं संशोधन संख्या 245 पेश करता हूं।

श्री के० गोपाल : मैं संशोधन संख्या 246 पेश करता हूं।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : मैं संशोधन संख्या 314 और 315 पेश करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं संशोधन संख्या 334 पेश करता हूं।

श्री के० नारायण राव : मैं संशोधन संख्या 359 पेश करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं संशोधन संख्या 419 पेश करता हूं।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : मैं संशोधन संख्या 442 से 444 पेश करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 445 पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 484, 485, 486 और 487 पेश करता हूं।

श्री मल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 558 पेश करता हूं।

श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक : मैं संशोधन संख्या 606, 607 और 608 पेश करता हूं।

श्री के० लकप्पा : मैं संशोधन संख्या 614 पेश करता हूं।

श्री के० प्रधानी : मैं संशोधन संख्या 615 पेश करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं संशोधन संख्या 632 पेश करता हूं।

श्री शिव नाथ सिंह : मैं संशोधन संख्या 640 पेश करता हूं।

श्री पी० आर० शिनाय : इस समय कई अन्तर्राज्यीय जलविवाद चल रहे हैं। इन विवादों को समाप्त करने के लिये यह विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : आप इसे समवर्ती सूची में शामिल करना चाहते हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं संशोधन संख्या 224 पेश करता हूं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं अपना संशोधन संख्या 227 पेश करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण : राष्ट्रीय आर्थिक विषय के लिये सिंचाई और बिजली के महत्व को देखते हुए ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

सभापति महोदय : आप बिजली और पानी को शामिल करना चाहते हैं। मंत्री महोदय आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे।

श्री के० सूर्यनारायण : पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान आधी पैदावार नये क्षेत्रों में से आयेगी जिन्हे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जानी है। अतः सिंचाई के समवर्ती सूची में शामिल किया जाना शामिल है।

सभापति महोदय : आप इस विषय को शामिल करना चाहते हैं। बात यहीं समाप्त हो जाती है।

श्री के० सूर्यनारायण : इन सभी विषयों को शामिल करने से राज्य की कई समस्यायें हल हो जायेंगी।

श्री के० गोपाल (करूर) : मेरा संशोधन खंड 57 से सम्बन्धित है। अन्तर्राज्यीय जल सम्बन्धी विवादों के समवर्ती सूची में शामिल करने से लोग बहुत खुश होंगे। मेरे संशोधन का उद्देश्य भी यहीं है।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं मद संख्या 17ग को समवर्ती सूची में शामिल करना चाहता हूं।

श्री के० नारायण राव : मेरा उद्देश्य 11 क को समवर्ती सूची में शामिल करने का है मैं यह भी चाहता हूं कि सभी न्यायाधिकरण न्याय से ही सम्बन्ध हो ताकि लोगों के बीच विश्वास पैदा हो सके।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagour): Early solution of inter-state water disputes is in the interest of generations to come. We are using very little quantity of water from our rivers. I have, therefore, moved an amendment for changing entry 56 and putting the same in the concurrent list. We may also have to amend Article 262 by ychanging the wording of Article 262(1). I hope that both of my amendments will be accepted.

*श्री एम० डी० सोमसुन्दरम (थंजावूर) : इस संशोधन विधेयक के खंड 57 का उद्देश्य 'शिक्षा' के राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल करना है। मेरे संशोधन का उद्धेश्य यह है कि शिक्षा को वापिस राज्य सूची में रखा जाये।

शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का उद्देश्य मैं नहीं समझ सका। देश में व्याप्त विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों तथा भाषाओं के विकास के ही उद्देश्यों से संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को राज्य सूची में रखा था।

ऐसा करने से शिक्षा के विकास तथा प्रचार में बहुत बाधायें पैदा हो जायेंगी। शिक्षा का विषय राज्य सरकार के ही पास रहना चाहिये। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलीन) : मेरे संशोधन का उद्देश्य शिक्षा का वापिस राज्य सूची में रखना है। इस परिवर्तन के लिये कोई भी कारण नही बताये गये हैं। समवर्ती सूची में अधिक विषय शामिल करने से राज्य विधान सभाओं के अधिकार कम हो जायेंगे। एक करने से क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बहुत क्षति पहुंचेगी। हिन्दी के कट्टरपंथी हिन्दी को थोपना चाहते हैं।

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad): There are no Hindi Fanatics. To say so is to lower to dignity of the House.

सभापति महोदय : आप सीधे आक्षेप न करें। आप प्रावधान की आलोचना कर सकते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : शिक्षा राज्य सूची में ही रखा जाना चाहिये।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): I am moving amendment No. 484, 485, 486 and 487. First three amendments are very clear and I would like to say a few words about amendment No. 487, which is very important.

It is well known that the States could not so for implement various land reform legislations and measures because of the personal interests of the politicians and officers responsible for their implementations. Even the guidelines sent from the centre are ignored. Therefore, agriculture including land reforms, agricultural income-tax should be included in the Concurrent List.

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

The progress of land reforms in Punjab is very slow. So is the case with other states also.

I request the hon. Law Minister to include this subject in the Concurrent List.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Speaker *in the Chair*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि संशोधनों पर व संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि 15–20 मिनटों के अन्दर हम इन दो खंडों पर चर्चा समाप्त कर सकें।

Shri Jambuwant Dhote: Today crores of rupees are being spent on the implementation of family planning programme. There are economic reasons behind the family planning programme. Spirit of this programme can be good but it is not giving rise a pleasant atmosphere. Coersive methods are being applied for implementing the family planning programme. This programme is being forcibly imposed on people by playing with their religious and cultural sentiments. You are shaking the very foundations of a family. I request you to consider this question seriously otherwise it will spell disaster to the country.

I request the hon. Law Minister to accept my amendment No. 562 and delete family planning from the Constitution. ..

Shri Priya Ranjan Das Munshi (Calcutta-South): My amendment seeks to transfer entry No. 12 of the state list to the Concurrent List alongwith other subjects like archaeological achievements, hidden treasures, ancient religion and historical monuments so that historical documents are accesible to all the citizens.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): Sir, I request that "utilisation of water, mineral and power resources of the country" should be included in the Concurrent List of Seventh Schedule. These are natural resources and should be utilised for the overall development of the country.

Shri M. C. Daga (Pali): Subjects pertaining to education have been included in the Concurrent List of Seventh Schedule whereas libraries have been excluded. Even the Education Minister has stated in this House for the need of having a National Library Policy. It is in the interest of the country to include libraries in the Concurrent List.

श्री एच० आर० गोखले : सुझाव दिया गया है कि कृषि, विद्युत जल संसाधनों आदि जैसे विषयों की समवर्ती सूची में सम्मिलत किया जाये निःसन्देह ये विषय देश के विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन राज्यों की भावना का विचार किये बिना इस मामले को लेना उचित नहीं है। अधिकांश मामले जो अब समवर्ती सूची में शामिल किये गये है राज्य सरकारों से अनौपचारिक वार्ता करके ही किये गये हैं। यदि बाद में किसी अवसर पर सरकार ने यह महसूस किया कि इन्हें समवर्ती सूची में शामिल करने के लिये राज्यों से परामर्श करना आवश्यक है तो इस पर विचार किया जा सकता है। अतः यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री डागा ने ग्रन्थालयों का उल्लेख किया है और उनका विचार है कि ग्रन्थालय शिक्षा के विषय के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। शिक्षा और शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषय शिक्षा प्रविष्टि के अन्तर्गत समवर्ती सूची में शामिल किये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्वर्णसिंह समिति ने कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। लेकिन कृषि को बाद में समवर्ती सूची से क्यो निकाल दिया गया है?

श्री एच० आर० गोखले : कृषि निस्संदेह महत्वपूर्ण विषय है परन्तु ऐसे विषयों पर राज्य सरकारों से परामर्श करना अनिवार्य है।

खण्ड 58

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 58 पर दो संशोधन है। दोनों ही सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। अत : कोई सा भी संशोधन पेश नहीं किया गया है। अब हम खण्ड 59 पर विचार करेंगे।

खण्ड 59

श्री शंकर राव सावंत : मैं अपना संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं अपने संशोधन संख्या 203, 204 और 205 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 488 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : मैं अपना संशोधन संख्या 543 प्रस्तुत करता हूं।

प्रो एस० एल० सक्सेना : मैं अपना संशोधन संख्या 569 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 570 प्रस्तुत करता हूं :

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं अपना संशोधन संख्या 589 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 609 प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं अपने संशोधन संख्या 626 और 627 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेसन : में अपना संशोधन संख्या 633 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : मैं अपना संशोधन संख्या 648 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 650 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): As per the provision of the proposed clause 59 the President may, by order, make such provisions, including any adaptation or modification of any provision of the Constitution, as appear to him to be necessary or expedient for the purpose of remaining the difficulty. Though this amending Bill wide-spread powers are being concentrated in the hands of the Centre. This is against the spirit of democracy and the ideals of Mahatma Gandhi. I, therefore, oppose Clause 59 and urge upon the Law Minister that it should be amended in a way that power to remove difficulties is vested in the Parliament and not in the President.

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य तीसरे वाचन के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : श्री गोखले इस मामले पर उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने में 'असमर्थ हैं'। कठिनाइयों को दूर करने के लिये किसी संविधान संशोधन को इतना अधिक समत नहीं लेना चाहिये। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये 3 महीने की अवधि काफ़ी है। हमें राष्ट्रपति को संविधान का संशोधन करने के लिए इतना अधिक समय नहीं देना चाहिये। यह अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिये।

श्री एच० आर० गोखले : मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति को दिया गया अधिकार संविधान में कोई मौलिक संशोधन करने के लिये नहीं है। यह अधिकार संविधान के उपबन्धों को लागू करने की दृष्टि से ही दिया गया है। इस खण्ड से राष्ट्रपति को कोई मौलिक संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसका सामान्य सुरक्षात्मक यही उपाय है कि यदि ऐसा कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उसे सदन के समक्ष पेश किया जाएगा, यह खण्ड 368 का संशोधन नहीं है।

खण्ड-1

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4--(44वां संशोधन) (Forty-fourth amendment)
के स्थान पर (42वां संशोधन) (Forty-second amendment)
प्रतःस्थापित किया जाए।" (548)

अधिनियमन सूत्र

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं है।

पुरा नाम

श्री जाम्बुवन्त धोटे : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं। (401)

The name of our country is Bharat. Therefore, "The Constitution of India" should be replaced by "Bharat Ka Sambidhan". This should be accepted.

श्री एच० आर० गोखले : वर्तमान शीर्षक ठीक है और इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार मतदान किया जाएगा। खण्ड 2 से 12 पर मतदान हो चुका है। अब 48 खण्डों पर मतदान कराना शेष रह गया है। अतः नियम 155 के अनुसार मेरा विचार है कि सभी खण्डों पर एक साथ मतदान कराया जाये। यदि कोई सदस्य किसी विशेष खण्ड पर अलग से मतदान कराना चाहे तो उस पर अलग से मतदान हो जाएगा।

खण्ड-- 13

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 13 पर पेश किए गए सभी संशोधन को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

खण्ड--14

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 14 पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है। अन्य सभी संशोधन मैं मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन मतदान के लिए पेश किए गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

खण्ड 15, खण्ड 16

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 पर कोई संशोधन नहीं है । मैं खण्ड 16 के संशोधन को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 13, 14, 15 और 16 सभा के मतदान के लिये रखे गये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 13, 14, 15 और 16 विधेयक के अंग बने ।"

*लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में 361	विपक्ष में कोई मत नहीं
Ayes: — 361	**Noes :— Nil**

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 13 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 17

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गोखले का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं --

प्रश्न यह है :

"Page 5,—

for lines 37 to 39, *substitute*—

"(2) The amendments made by sub-section (1) to clause (2) of article 83 shall apply also to the House of the People in existence on the date of coming into force of this section without prejudice to the power of Parliament with respect to the extension of the duration of that House under the proviso to that clause".

*इस मत विभाजन का परिणाम खण्ड 13, 14, 15 और 16 पर पृथक् पृथक् लागू होगा ।

[पृष्ठ 5,—

पंक्ति 37 और 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2) उपधारा (1) द्वारा अनुच्छेद 83 के खण्ड (2) में किए गए संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान लोक सभा को भी लागू होंगे और इनका उस खण्ड के परन्तुक के अधीन लोक सभा की कालावधि के विस्तारण के सम्बन्ध में संसद् की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"] (652)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री एस० एम० बनर्जी का संशोधन संख्या 462 मतदान के लिये रखता हूं :—

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में : 27	विपक्ष में : 339
Ayes : —27	**Noes : — 339**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 17 सम्बन्धी सभी संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान को रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 342	विपक्ष में : 25
Ayes:—342	**Noes:—25**

Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खंड 18

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 18 से सम्बन्धित संशोधन संख्या 256 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

खण्ड 19

अध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है ।

खंड 20

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 20 के सभी संशोधन एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 10, 111, 112, 113, 218, 307, 410, 411, 463 और 464 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 10, 111, 112, 113, 218, 307, 410, 411, 463 and 464 were put and negatived.

खंड 21

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री 'गोखले का संशोधन संख्या 446 मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

Page 6, *for* lines 30 and 31, *substitute*—

"of each House shall be those of that House, and of its members and committees, at the commencement of section 21 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, and as may be evolved by such House of Parliament from time to time."

पृष्ठ 6 —

पंक्ति 30 से 31 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(3) अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो संविधान संशोधन (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 की धारा 21 के प्रारम्भ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं और जो संसद के ऐसे सदन द्वारा समय समय पर विकसित की जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस खण्ड से सम्बन्धित अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 59, 114, 339 और 465 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 59, 114, 339 and 465 were put and negatived.

खंड 22

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री धोटे का संशोधन संख्या 561 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendments were put and negatived.

खंड 23

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 23 के सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 60, 87, 88, 115, 116, 301, 574 और 583 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 60, 87, 88, 115, 116, 301, 574 and 583 were put and negatived.

खंड 24

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 24 से सम्बन्धित श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी का संशोधन संख्या 584 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendments were put and negatived.

खंड 25

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 25 से सम्बन्धित सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 61, 89, और 611 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हु ।

The amendments Nos. 61, 89 and 611 were put and negatived.

खंड 26

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 26 से सम्बन्धित प्रो० एस० एल० सक्सेना के संशोधन संख्या 62 और 63 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

खण्ड 27, खण्ड 28

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 27 पर कोई संशोधन नहीं है ।

अब मैं खण्ड 28 से सम्बन्धित प्रो० एस० एल० सक्सेना और श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन संख्या 64 और 466 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वाकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

खंड 29

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 29 से सम्बन्धित सरकारी संशोधन संख्या 653 मतदान के लिए रखता हूं

प्रश्न यह है :

Page 8, line 23,—

after "(a)" *insert* "in clause (2)".

["पृष्ठ 8, पंक्ति 23,—

"(क)" के बाद खण्ड (2) में"

अन्तःस्थापित किया जाए ।] (653)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 30

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 30 से सम्बन्धित एक सरकारी संशोधन संख्या 654 है ।

प्रश्न यह है :

Page 9,—

for lines 9 to 11, *substitute*—

"(2) The amendments made by sub-section (1) to clause (1) of article 172 shall apply also to every Legislative Assembly (including the Legislative Assembly of the State of Kerala) in existence of the date of coming into force of this section without prejudice to the power of Parliament with respect to the extension of the duration of such Assembly under the proviso to that clause."

[पृष्ठ 9 —

पंक्ति 9 और 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए—**

"(2) उपधारा (1) के द्वारा अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) में किए गये संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान प्रत्येक विधान-सभा (जिसके अन्तर्गत केरल राज्य की विधान-सभा भी है) को भी लागू होंगे और इनका उस खण्ड के परन्तुक के अधीन ऐसी विधान सभा की कालावधि के विस्तारण के सम्बन्ध में संसद की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।" ।](564)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 467 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

खंड 31, 32 और 33

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 31 और 32 पर कोई संशोधन नहीं है। मैं खण्ड 33 से सम्बन्धित सभी संशोधनों सभा को मतदान के लिये रखता हूं। इसके लिए कोई सरकारी संशोधन नहीं है।

संशोधन संख्या 65, 468 और 469 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 65, 468 and 469 were put and negatived.

खंड 34

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये एक सरकारी संशोधन संख्या 447 है।

प्रश्न यह है :

Page 9, *for* lines 41 and 42, *substitute*—

"Committees of a House of such Legislature shall be those of that House, and of its members and committees, at the commencement of section 34 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, and as may be evolved by such House of the Legislature of a State, so far as may be, in accordance with those of the House of the People, and of its members and committees where such House is the Legislative Assembly and in accordance with those of the Council of States, and of its members and committees where such House is the Legislative Council".

[पृष्ठ 9,—

पंक्ति 41 से 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

"(3) अन्य बातों में राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन की तथा ऐसे विधान मण्डल के सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 34 के प्रारम्भ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं और जो राज्य के विधान मण्डल के ऐसे सदन द्वारा, या आवश्यक जहां ऐसा सदन विधान सभा है, वहां लोक सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुकरण में और जहां ऐसा सदन विधान परिषद् है, वहां राज्य सभा की तथा उसके सदस्यो और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण मे विकसित की जायें।") (447)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं खंड 34 से सम्बन्धित सभी संशोधन एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 66 और 470 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 66 and 470 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : खंड 35 पर कोई संशोधन नहीं है ।

खंड 36 पर एक सरकारी संशोधन संख्या 448 है ।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को देखते हुए मैं यह अनुरोध करता हूं कि मुझे संशोधन को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 36 से सम्बन्धित सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 92, 259, 330 और 331 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 92, 259, 330 and 331 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : खंड 37 पर कोई संशोधन नहीं है ।

खंड 38

अध्यक्ष महोदय : खंड 38 पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है । मैं इससे सम्बन्धित सभी संशोधन एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 67 से 71, 123 से 127, 130, 208, 209, 434, 471 से 473 और 597 599 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 67 to 71, 123 to 127, 130, 208, 209, 434, 471 to 473 and 597 to 599 were put and negatived.

खंड 39

अध्यक्ष महोदय : खंण्ड 39 पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है । मैं इससे सम्बन्धित सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 128 और 474 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 128 and 474 were put and negatived.

खंड 40 और 41

अध्यक्ष महोदय : खंड 40 और 41 के लिये कोई संशोधन नहीं है ।

खंड 42

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 42 पर दो सरकारी संशोधन संख्या 655 और 656 हैं । मैं उन दोनों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

Page 12, lines 10-11,—

for "determine questions as to the constitutional validity of State laws",

substitute—

"determine all questions relating to the constitutional validity of any State law."

Page 12, line 25,—
after "High Court" *insert*—
"sitting for the purpose."

[पृष्ठ 12,—

पंक्ति 10–11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का निर्धारण कर सकेगा।" (655)

पृष्ठ 12, पंक्ति 25,—

"उच्च न्यायालय के" **के पश्चात्**

"इस प्रयोजन के लिए बैठने वाले" **अन्तःस्थापित किया जाये** । (656)]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस प्रकार संशोधनों को एक साथ रखने की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे सन्तुष्ट ही नहीं वरन् मैंने इस संबंध में सभा की सहमति भी प्राप्त कर ली है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रश्न आपके या सदस्यों के संतोष का नहीं है परन्तु प्रश्न है वैधानिक स्थिति का ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 155 में एक परन्तुक में ऐसा प्रावधान है इस तरह का एक पूर्वोदाहरण भी है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 से 20 खण्ड 21 संशोधित रूप में, खण्ड 22 से 28, खण्ड 29 संशोधित रूप में, खण्ड 30 संशोधित रूप में, खण्ड 31 से 33, खण्ड 34 संशोधित रूप में, खण्ड 35 से 41 और खण्ड 42 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 366

Ayes : 366

विपक्ष में : 1

Noes : 1

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 18 से 20, 21 संशोधित रूप में, 22 से 28, 29 संशोधित रूप में, 30 संशोधित रूप में, 31 से 33, 34 संशोधित रूप में, 35 से 41 और 42 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 18 to 20, Clause 21 as amended, clauses 22 to 28, clause 29 as amended, clause 30 as amended, clauses 31 to 33, clause 34 as amended, clause 35 to 41 and clause 42 as amended were added to the Bill.

खंड 43

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 475 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मतदान हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 28	विपक्ष में 339
Ayes	Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 43 के सभी संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 210, 223, 285, 476, 539, 540, 564, 587 और 600 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 210, 223, 285, 476, 539, 540, 564, 587 and 600 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 43 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 338	विपक्ष में 25
Ayes	Noes

प्रस्ताव कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 43 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 43 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 44 पर श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 478 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में 27

Ayes

विपक्ष में 336

Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

खण्ड 44

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 44 पर अन्य सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 332, 345 तथा 477 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 332, 345 and 477 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में **Ayes**	343
विपक्ष में **Noes**	24

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 44 was added to the Bill.

खण्ड 45

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 45 लेते हैं। अब मैं इस खण्ड पर सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 45 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 45 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में **Ayes**	363
विपक्ष में **Noes**	1

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 45 was added to the Bill

खण्ड 46

अध्यक्ष महोदय: अब मैं खण्ड 46 पर श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा पेश किया संशोधन संख्या 480 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 480 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 480 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 46 पर अन्य सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हुं ।

संशोधन संख्या 13 से 15, 72, 73, 74, 96, 97, 98, 131 से 155, 267, 356, 357, 358, 479, 542, 565, 566, 575, 592, 635, 636, 643, 644 तथा 645 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 13 to 15, 72, 73, 74, 96, 97, 98, 131 to 155, 267; 356; 357; 358, 479, 542, 565, 566, 575, 592, 635, 636; 643; 644 and 645 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 46 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में **Ayes**	362
विपक्ष में **Noes**	3

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 46 was added to the Bill.

खण्ड 47

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है। मैं सभी अन्य संशोधन एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 36, 268 तथा 425 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 36, 268 and 425 were put and negatived.

खण्ड 48

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है मैं सभी संशोधन एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 576 तथा 577 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 576 and 577 were put and negatived.

खण्ड 49

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है। मैं सभी संशोधन एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 578, तथा 646 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 578 and 646 were put and negatived.

खण्ड 50

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई सरकारी संशोधन नहीं है। मैं सभी संशोधन एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 16,17,18, 426, 427,481 तथा 603 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 16 to 18, 426, 427, 481 and 603 were put and negatived.

खण्ड 51

अध्यक्ष महोदय : इस पर एक सरकारी संशोधन संख्या 652 है जिसे मैं सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है।

" पृष्ट 17, पक्ति 1

"Apply to any law" (किसी कानून पर लागू होगा) के स्थान पर "shall apply also to any law." (किसी भी कानून पर लागू होगा) प्रतिस्थापित किया जाये।

(657)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 482 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 482 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 482 was put and negatived.

खंड 52

अध्यक्ष महोदय : इस पर श्री स्टीफन द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 157 है ।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 17, पंक्ति 9 तथा 10,—

"specified in the First Schedule." "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित" **का लोप किया जाये।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खंड 47, 48, 49, 50, 51 संशोधित रूप में, और खण्ड 52, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।*

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	364
विपक्ष में Noes	1

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यो के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 47, 48, 49, 50, 51 संशोधित रूप में, और 52, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिए गये

Clause 47, 48, 49, 50, 51 as amended and 52, as amended, were added to the Bill.

*इस मत-विभाजन का परिणाम खंड 47, 48, 49, 50, 51, संशोधित रूप में और 52, संशोधित रूप में प्रत्येक पर अलग-अलग लागू होता है ।

खण्ड 53

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 579 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 26
Ayes

विपक्ष में 331
Noes

स्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

श्री एच० आर० गोखले : मैं श्री स्टीफन का संशोधन संख्या 159 स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 17, पंक्ति 21 तथा 22, --

"specified in the First Schedule". (प्रथम अनुसूची में उल्लिखित) ' का लोप किया जाये '

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 580 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 580 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 580 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 53, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने "

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 338
Ayes

विपक्ष में 25
Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 53, as amended, was added to the Bill

खण्ड 54

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गोखले के संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 17,--

Page 17,—

पंक्ति 47 और 48 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये --

"(4A) 'Central law' means any law other than State law but does not include any amendment of this Constitution made under article 368.'.

'(4क) "केन्द्रीय विधि" से अभिप्रेत है किसी राज्य विधि से भिन्न कोई विधि किन्तु अनुच्छेद 368 के अधीन इस संविधान का कोई संशोधन इसके अन्तर्गत नहीं है ;' (658)

पृष्ठ 18,--

Page 17,—

पंक्ति 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये --

"[(f) any notification, order, scheme, rule, regulation or bye-law or any other instrument having the force of law, not falling under sub-clause (e), and made by a State Government or the Administrator of the Union territory or an officer or authority subordinate to such Government or Administrator;"]

["विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखत ; कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम या उप-विधि अथवा विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखत जो उप-खण्ड (ङ) के अन्तर्गत नहीं है और जो किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक अथवा ऐसी सरकार या प्रशासक के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनाई गई है ; तथा "] (659)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री स्टीफन के संशोधन संख्या 164 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 164 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment No. 164 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 54, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	363
विपक्ष में Noes	1

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 54, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 54, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 55

अध्यक्ष महोदय : इस पर सरकारी संशोधन संख्या 593 है । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 18,—

Page 18,—

पंक्ति 24 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article [whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976] shall be called in question in any court on any ground.

(5) For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article."

["(4) इस संविधान के किसी संशोधन पर (जिसके अन्तर्गत भाग 3 के उपबन्ध भी हैं) जो इस अनुच्छेद के अधीन किया गया है अथवा जिसके इस प्रकार किये जाने का तात्पर्य है [चाहे संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारम्भ के पहले हो या पश्चात्] किसी न्यायालय में किसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा ।]

(5) शंकाओं को दूर करने के लिये इसके द्वारा यह घोषित किया जाता जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबन्धों में परिवर्द्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद् की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार की मर्यादा नहीं होगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 55 पर श्री सी० एच० मोहम्मद कोया द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 312 और 313 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 312 तथा 313 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 312 and 313 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 55 पर प्रो० एस० एल० सक्सेना द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 567 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 567 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 567 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 55 के अन्य सभी संशोधन एक-साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 55, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 55, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

The Lok Sabha divided.

पक्ष में **Ayes**	359
विपक्ष में **Noes**	3

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों से दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 55, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हरि किशोर सिंह द्वारा नये खंड 55क का अन्तःस्थापन किये जाने के बारे में पेश किया गया संशोधन संख्या 202 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 202 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 202 was put and negatived.

खण्ड 56

अध्यक्ष महोदय : खंड 56 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"खंड 56 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में Ayes	361
विपक्ष में Noes	1

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 56 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 56 was added to the Bill.

खण्ड 57

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कोया द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 314 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 314 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 314 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री घोटे द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 562 (जो वही है जो संशोधन संख्या 315 में दिया गया है) सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 562 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 562 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 57 के अन्य सभी संशोधन एक-साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 57 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 57 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 361
Ayes

विपक्ष में 3
Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंण्ड 57 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 57 was added to the Bill.

खण्ड 58

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 58 पर कोई संशोधन नहीं है । मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 58 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 365
Ayes

विपक्ष में शून्य
Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 58 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 58 was added to the Bill.

खण्ड 59

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 488, 543 और 569 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 488, 543 और 569 अलग-अलग मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 488, 543 and 569 were put separately and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 59 पर अन्य सभी संशोधन एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 59 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	340
विपक्ष में Noes	26

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 59 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 59 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 1 पर एक सरकारी संशोधन है। प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 3 तथा 4 --

"(Forty-fourth Amendment)"

"(44वां संशोधन)" के स्थान पर

"(Forty-second Amendment)".

"(42वां संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में	357
Ayes	
विपक्ष में	1
Noes	

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब हम अधिनियमन सूत्र और विधेयक के पूरे नाम को लेते हैं। मैं विधेयक के पूरे नाम पर श्री जाम्बुवंत धोटे का संशोधन संख्या 401 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976/11 कार्तिक 1898 (शक) को 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 2, 1976/Kartika 11, 1898 (Saka).

म० द्र० भा० स० मु०-लो० स० III--2163 एल० एस०--8-12-76--200.